

पर्दादारी

खवातीन के अहमतरिन मसाइल
नमाज, तहारत, पर्दा, निकाह ..



मुसन्निफ

सय्यिद मुहम्मद सिकंदर वारसी



पदादारी

नाम किताब - पर्दादारी

तस्नीफ़ - सय्यिद मुहम्मद सिकन्दर वारसी

अनुवाद - अज़ खुद मुसन्निफ़

कम्पोज़िंग - अज़ खुद मुसन्निफ़

प्रूफरीडिंग - नूर हसन

प्रूफरीडिंग - सफ़ा सुलैमान

सफ़हात - 95

कुल सुवाल - 70

कीमत -

मिलने का पता - www.smswarsi.com

हर सुन्नी (बरेलवी) शख्स/प्रेस/इदारे/तंज़ीम/ को (बिना किसी तबदीली के)

इस किताब को छापने/छपवाने की इजाजात आम है

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الصلوة والسلام عليك يا رسول الله (أم بعد)

अर्जे - मुसन्निफ़

वैसे तो ख़वातीन के मसाइल पर अहले सुन्नत के पास कुतुब का ज़खीरा मौजूद है मगर या तो वो किसी 1 मौजू पर होती है वरना मुकम्मल मसाइल की वजह से ज़खीम हो जाती है, और फिर ये भी ज़रूरी नहीं की दौरे हाज़िर में पेश आने वाले मसाइल या ग़लतफ़हमी का जवाब उसमे हो. लिहाज़ा इस किताब में वही सवालात दर्ज है जो लोग को पेश आये और उन्होंने दरयाफ़्त किया, और इसमें अक्सर क्रिस्म के सवालात दर्ज है जैसे. नमाज़, तहारत, तरावीह, निकाह, और ख़वातीन में पाई जाने वाली ग़लत रस्मो वगैरा वगैरा. जिसमे हमारी अवाम को सीखने में आसानी भी हो और वो अपने आमाल और अक़ीदे को मेहफूज़ कर सके, लिहाज़ा मैं उम्मीद करता हूँ, इसे हर खातून को कम अज़ कम एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि वो अपने आमाल को दुरुस्त कर सके, और अपने बच्चों को भी समझा सके, और सिखा सके किताब मसाइले शरीअत की 4 जिल्दे मुकम्मल होने के साथ ही उसमे हज़ारों फ़िक्ही सुवालात के जवाबात मेहफूज़ किये जा चुके थे, जो की फ़िक्ही हनफ़ी की मज़हब पर लोगो के ज़रिये सुवाल ज़वाब का मजमुआ है, उसमे ना सिर्फ़ मसाइले अहनाफ़ दर्ज थे, सेकड़ो मसाइल ख़वातीन के ज़रिये पूछे गए और ख़वातीन से मुताल्लिक, मगर किताब ज़खीम होने की वजह से लोग उसका मुकम्मल मुताला करते ? ये ज़रूरी नहीं था, लिहाज़ा ज़रूरत को महसूस करते हुए उस किताब से ख़ास ख़वातीन से ताल्लुक रखने वाले सवाल जवाब चुन कर अलग कर लिए गया, ताकि ख़वातीन के लिए एक आसान फेहम किताब तरकीब में आ सके, पेशे नज़र किताब "पर्दादारी" उसी मसाइले शरीअत किताब से चुने गए सुवाल जवाब हैं,

किताब की ज़रूरत क्यों हुई -

क्योंकि ये किताब खास ख़वातीन के लिए तोहफा है इसलिए इसे सबसे पहले हिंदी में ट्रांसलेट लिया गया, इसमें शक नहीं अक्सर अवाम उर्दू से वाकिफ़ नहीं है, और वो ज़खीम किताबे हिंदी की भी पढ़ने से परहैज़ करती है, लिहाज़ा इसे आसान और सहल हिंदी में पेश किया गया ताकि किताब का सही मक़सद वजूद में आ सके,

इस किताब में आप पढ़ सकेंगी

*ख़वातीन को तरावीह पढ़ने का हुक्म,

*वाशिंग मशीन में पाक-नापाक कपडे धोने का मसअला

*हैज़ में नियाज़ का खाना बनाना कैसा.

*साड़ी बांधना, बिंदी लगाना कैसा.

*बेआवाज़ कुरआन पढ़ना कैसा

*औरत को कॉपर -T लगवाना कैसा

*लेगिस पहनकर नमाज़ पढ़ना कैसा वगेरा वगेरा.. और भी बहुत कुछ

अल्लाह से दुआ है की, इसे पढ़ने वाली के हक़ में मग़फ़िरत का जरिया बनाये,

मख़सूस दुआ की अर्ज़- मेरी तमाम कुतुब की तरह ही इस किताब की प्रूफरीडिंग

हर बार की तरह जनाब नूर हसन ने की, और साथ ही मोहतरमा बिनते अशरफा

(सफ़ा सुलेमान अत्तारिया) ने भी अपना कीमती वक़्त देते हुए नज़रे सानी करके मुझ

पर अहसान किया मैं अपने पैदा करने वाले से इन अज़ीज़ों के लिए दुआ-गो हूँ,

लिहाज़ा पढ़ने वाले/वाली से भी इनके लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की अर्ज़ है

Talib e DUA e MAGHFIRAT



Sayyid Muhammad Sikander Warsi

sms.warsi@gamil.com

www.smswarsi.com

अहले इल्मे से गुज़ारिश है की कहीं खता पाए तो इस्लाह करें,

S.No	फेहरिस्त	पेज
1	औरत को गैर मर्द के सामने चेहरा ढकना वाजिब है	9
2	क्या औरत आइब्रो बनवाए तो कुछ हर्ज है	13
3	औरत का MIC पर तक्ररीर और सलाम पढ़ना	14
4	औरते साड़ी जो बाँधती हैं क्या वो सही है	16
5	सोने चाँदी के सिवा आर्टिफिशियल-जेवेलरी में नमाज़	16
6	नापाक कपड़ा गुस्ल नापाकी किन किन चीज़ों से होती है	17
7	क्या औरते पराए मर्द को सलाम कर सकती हैं	19
8	क्या हमें कुरआन के सजदे तुरंत करने चाहिए	19
9	शौहर और बीवी जमा'अत के साथ घर में नमाज़ पढ़ सकते हैं	21
10	जिनकी औलाद ना हो तो उसे बच्चा गोद लेने की इजाज़त है	23
11	नमाज़ में क़िराअत के अल्फ़ाज़ मखरज़ से अदा ना हुए तो	25
12	ड्यूरिंग प्रेग्नेन्सी, बच्चे में कितने दिनों के बाद जान आ जाती है	27
13	औरतो को कब नमाज़ अदा करनी चाहिए मर्दों के टाइम पर	29
14	औरत की नसबंदी कराना कैसा है copper-t लगवा सकते है	31
15	अक्रीके का गोश्त (मीट) बच्चे के माँ बाप को खाना जायेज़ है	33
16	रक्षा बंधन की मुबारक बाद राखी बंधवाना कैसा है	33
17	चूड़ीदार पयज़ामा मना क्यों क्या जीन्स में नमाज़ जाइज़ है	35
18	लैंडीस जो लेगिस या चूड़ीदार पहन कर नमाज़	38
19	क्या औरतों को तरावीह पढ़ना सही है अकेले या जमा'अत से	39
20	वॉशिंग मशीन में पाक नापाक कपड़े एक साथ धोना कैसा	41
21	माँ बाप औलाद को कोसते हैं औलाद पे वो लानत बैठती है	43
22	हैज़ में मुद्हत से ज़्यादा खून आये और सजदे में रीह निकले	45
23	क्या हैज़ वाली औरत मस्जिद जा सकती है	47
24	मंगनी के बाद होने वाले शोहर से कॉल पे बात कर सकती है	48

25	तिलावते कुरआन बिना आवाज़ चुपचाप उंगली चलाते रहते	49
26	फिक्स डेपॉज़िट और बैंक का इंटेरेस्ट लेना	49
27	गीबत करने से कैसे बचा जा सकता है गीबत वालों का अज़ाब	49
28	कुरआन आवाज़ से पढ़ना ज़रूरी है बिना आवाज़ के नहीं	51
29	नमाज़ पढ़ते वक़्त आवाज़ कितनी तेज़ होनी चाहिए	51
30	पिलास्टिक के कंगन या कुछ भी पहनने से नमाज़ हो जाती है	52
31	लड़की के हाथ में चूड़ीयां नहीं उन के हाथ का पानी हाराम है	52
32	बच्चा पैदा होने से 40 दिन के अंदर शौहर से हमबिस्तर होना	52
33	हैज़ वाली औरत नियाज़ का खाना पका सकती है	54
34	औरत अपने सिर के बाल कटा सकती है	55
35	औरतों का मेकप करना कैसा है लिपस्टिक वगैरह इस्तेमाल	56
36	साड़ी बिंदिया नेल्पोलिश सही या नहीं	56
37	बीवी अगर हैज़ (पीरियड्स) से है तो उस से दूर रहना चाहिए	57
38	हैज़ से पाक हो जाए वज़ू या ग़ुसल के लिए पानी ना हो	58
39	क्या हमिला (प्रेग्नेंट) औरत का तलाक़ हो जाएगा	58
40	जो कपड़ा पहनना हाराम है उसे पहन कर नमाज़	59
41	ग़ैर मेहरम लड़की को अपनी बहन बनाना कैसा	59
42	मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म को चूम सकते हैं	60
43	सरकार के ज़माने में औरत मर्द साथ नमाज़ पढ़ते थे	61
44	बज़र्ग की सवारी आना क्या वली औरत पर आ सकते हैं	63
45	औरत अगर बालों का जूड़ा बना कर वज़ू करे तो वज़ू होगा	64
46	क्या औरत आवाज़ से कुरआन की तिलावत नहीं कर सकती	64
47	शोहर के हुकूम क्या है बीवी सारी ज़िम्मेदारी अदा करती हो	65
48	हाथ में चूड़ी ना पहने हो तो पानी मकरूह वज़ू और नमाज़	67
49	नूर नामा पढ़ना कैसा है	68
50	वज़ू का पानी पाक नहीं होता ये ठीक है	69
51	नाबालिग बच्चे को सोने चाँदी के ज़ेवर	70
52	3 Talaq,	71

[illegible]

[illegible]

सुवाल 1

हज़रत ये जो आजकल औरतें लड़कियां बाज़ार में, बुर्का तो पहनती हैं मगर चेहरा खुला रखती हैं क्या ये सही है ग़ैर मर्द के सामने चेहरा खोल सकते हैं, और अगर किसी से कहो की चेहरा ना खोलो तो कहती हैं शरीअत ने चेहरा खोलने की इजाज़त दी है, आप बताएं क्या सही है ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

पर्दादार चेहरे को चमकाता हुआ, झूठे पर्दों पर कहर बरसाता हुआ,

(राद्दुल हिजाब बिल बातिल निकाब)

(सभी माली फैली इबादत अजमत वाले शोहरत वाले इज्जत वाले ज़मीन और आसमान के नूर (अल्लाह) के लिए, जो चमकाएगा, कियामत में चेहरा अपने करम से इस तहरीर के लिखने वाले का, और पढ़ने वालों और खास कर अमल करने वालों का, उनके साथ जिनके साथ वादा किया गया की कुछ चेहरे हथ के मैदान में चमकते होंगे, और दुरूद ओ सलाम हो बेशुमार बेशुमार उस नूरानी चेहरे वाले के लिए जिनकी औलाद दर औलाद को इमामे अहले सुन्नत ने नूर फ़रमाया, और तमाम सहबा और अहले बैत पर जिन्होंने गवाही दी की हुज़ूर का चेहरा 14वीं के चाँद से ज्यादा चमकदार था)

जी हाँ पुर फितन दौर को देखते हुए उलमा ने चेहरे को छिपाने को वाजिब लिखा है, मैं कहता हूँ (अल्लाह ही की तोफ़िक से) की सारा कमाल और बबाल चेहरे का ही है, चेहरा ही भाता है, और चेहरा ही डुबाता है, और कल दोज़ख में भी कुछ औरते अपने चेहरे नोचती होगी, मगर कुछ के चेहरे तो नूरानी होंगे तो फिर मेरी इस बात में कुछ मुबालगा नहीं, अगर मैं कहूँ, की “हुस्न का दारो-मदार चेहरे पर है, जो ग़ैर मर्द से हुस्न को छुपाना चाहै उसे चाहिए की चेहरे को छिपा ले”

फतावा रज़विया जिल्द:14 सफह:552 पर है

“उलामा ने चेहरे छिपाना सदी अब्बल में वाजिब ना था, वाजिब कर दिया”

हिदाया में हैं: سدل الشیئى على وجهها واجب علیها

यानि: “चेहरे पर पर्दा लटकाना औरतों पर वाजिब है”

دلالت المسئلة على ان المرأة منهيّة عن اظهار وجهها للجانِب :
بلا ضرورة

यानि : “यह मसअला इस बात पर दलालत करता है की औरतो को बिला ज़रूरत अजनबी लोगों पर अपना चेहरा खोलना मना है”

دُرّے मुखتार में है : تمنع من كشف الوجه بين رجال لخوف الفتنة :

यानि: “फ़ित्ने के खोफ से औरत को मर्दों में चेहरा खोलने से रोका जाये,”
इस किस्म के सेकड़ो मसाइल हैं जिसे उलामा ने वक़्त की नज़ाकत के तहत बदल दिया, और जो कहै की ये हुज़ूर (عليه السلام) के वक़्त में नहीं था या शरीअत में पहले नहीं था अब क्यूँ तो वो जाहिल है क्यूँकि इस तरह के हुक्म शरीअत के खिलाफ नहीं बल्कि ऐन शरीअत ही के मुताबिक और हुज़ूर (عليه السلام) के फरमान ही के मुताबिक हैं, और अगर कोई अहमक औरत जो अहकामे शरीअत से बेखबर हो और यूँ कहै की जब दौरे रसूल में चेहरा छिपाना वाजिब नहीं तो अब क्यूँ तो इसका जवाब ये है की दौरे रसूल में तो औरते मस्जिद में भी नमाज़ पढ़ती थी बल्कि हुज़ूर (عليه السلام) ने फ़रमाया:

اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها

“जब तुम में से किसी की औरत मस्जिद जाने की इजाज़त चाहै तो उसे मना ना करो”

(इस हदीस को बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया)

और फ़रमाया हदीस में: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله :

“अल्लाह की कनीजों को अल्लाह की मस्जिदों से ना रोको”

(मुस्लिम और अबु दावूद ने सुनन में नक़ल किया)

मगर आज कोई औरत नहीं कहती की मस्जिद में जमाअत से नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ, क्यूँकि वो तो पहले ही घर में भी नमाज़ पढ़ना नहीं चाहती और नमाज़ में कसरत है वुजू और हाथ पैर हिलाने की और चेहरा दिखाने में हुस्न का दिखावा ज़ीनत का इज़हार है कोई कसरत मशक्कत नहीं बल्कि दिल को

भाता है, की ग़ैर हमारा हुसन देखें, तो खुद ग़ौर कर ले की नफस की ग़लबे की खातिर चेहरा खोलना चाहती है या शरीअत की खातिर.

इसलिए तरह तरह के हीले करती है और नफस पर फ़ौरन शरीअत और रसूल का दौर याद आ जाता है, जमाअत से नमाज़ पर कभी ना आया, पहली सदी में औरतें मस्जिद जाती मगर बाद में वक्त की नजाकत के तहत दौरे फ़ारूके आज़म में इसे भी बंद करना पड़ा, उस वक्त क्या हज़रत उमर और हज़रत आयशा को ये नहीं मालूम था की वो ऐसे काम पर पाबन्दी लगा रहै हैं जिस पर हबीबे खुदा ने पाबन्दी ना लगाई, बल्कि हज़रत आयशा ने फ़रमाया:

لوان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نسائهن

“हुज़ूर (عليه السلام) हमारे ज़माने की औरतों को देखते तो उन्हें मस्जिद जाने से मना करते जैसे बनी इसराइल ने अपनी औरतों को मना कर दिया”

“इस फरमान से ये साबित है हुज़ूर (عليه السلام) भी होते तो उस दौर को देखते हुए ज़रूर यही हुक्म देते जो हमने दिया”

इस हदीस से चमकते चेहरे की तरह साफ़ हो गया की उलामा का कोई फरमान खिलाफे रसूल नहीं होता बल्कि एन हुक्मे रसूल पर होता है, उसके बाद आज तक उलामा ने औरतों को मस्जिद की हाजरी से बाज़ रखा क्यूंकि अब तो दौर उससे भी ज्यादा आग बरसाने वाला है,

फ़तहुल क़दीर में है :

عمم المتأخرون المنع العجائز والشواب في الصلوات كلها لغلبة الفساد في سائر الاوقات
यानि: “फ़साद के ग़लबे की वजह से तमाम वक्तों की नमाज़ों में जवान बूढ़ी औरतों का निकलना मुताख़िरीन ने माना फ़रमाया है”

फ़िक्ह का एक क़ायदा भी है की: “ज़माने की तबदीली के सबब एहक़ाम की तबदीली का इंकार नहीं किया जा सकता”

खुलासा ए कलाम और मेरी राय भी यही है की, हर मर्द पर लाज़िम है की वो ग़ैर के सामने पर्दे के साथ साथ अपनी औरत को चेहरा छिपाने का भी हुक्म दे, और जो ये कुछ निक़ाब होते है जिसमे आँखे खुली होती है, मेरे नज़दीक इसका पहनना भी नापसंदीदा है, (और ये मेरी जाती राय है) (बल्कि आँखो सहित पूरा चेहरा ढका होना चाहिए, इसकी एक खास वजेह है की चेहरा छिपाने का हुक्म इसीलिए है की “ना रंग दिखे ना उमर” मगर निक़ाब मे आखे खुले रहने से औरत की उमर और रंग का अंदाज़ा हो जाता है और ये भी की जवान है या बूढ़ी “**बस ये दिल मे फ़साद पैदा करने के लिए काफ़ी है**” तो चाहिए मुसलमान इज़्ज़त वाले मर्दो और औरतो को की बाज़ारो और ग़ैर मर्द के सामने मुकम्मल पर्दा करे यानी चेहरा भी छिपाए और आँखे भी ढक कर रखे, और घर मे रहते हुए घूँघट करा जा सकता है इसमे दुशवारी नही है, अगर कोई करना चाहै, और मुझे हैरत है दौर रसूल मे तो सहाबिया रात रात भर नमाज़ पढ़ती थी, रोज़ा रखती थी, इस काम को लेकर वो दौर याद क्यूँ नही आता की हम भी रातो को आराम ना करके नमज़े पढ़े ?, दौर याद आया तो चेहरे के खोलने पर?

इस कलाम को पढ़ने के बाद कहेंगे कुछ बेबाक़ लोग की “पर्दा आँखो का है” फिर मैं कहूँगा की अगर इस दौर मे लोगो मे हया ज़्यादा आ गई क्या उस पहली सदी मे हयादार नही थे और मुमकिन है फिर कोई बेबक़ बोल बेठे की “दिल साफ़ होना चाहिए” तो मेरा जवाब यही होगा की जब हज़रत आयशा हुज़ूर (عليه السلام) के मज़ार पर हाज़िर होती तो (पर्दे का खास ख्याल ना रखती) फरमाती ये मेरे शोहर है, फिर जब हज़रत अबु बक्रर हुज़ूर के क़दमो मे दफ़न हुए तो भी यही हाल था क्यूँकी अब एक शोहर एक वालिद थे मगर जब हज़रत उमर का मज़ार भी वही बना तो खूब ढक कर आने लगीं, क्यूँकी हज़रत उमर ग़ैर मर्द थे, फिर वही बात, क्या हज़रत उमर से ज़ियादा इज़्ज़त

वाले इस ज़माने में आ गये या हज़रत आएशा से ज़्यादा हया वाली आ गई, जो तुम्हारे सिर्फ़ दिल का पर्दा काफ़ी है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है, की आप साबित करना चाहते हो की आप उन हज़रत से ज़्यादा नेक हो ??? अल्लाह ता'आला से दुआ है की वो इस कलाम में छिपे असली मक़सद में कामयाबी दे, और मुसलमान औरतो को इसे समझने और दिल से कुबूल करने और अमल करने का जज़्बा दे, ताकि कल चेहरा खुदा के सामने दिखाया जा सके, और घर में देवर, जेठ कज़िन से भी घूँगट करने की तोफ़िक़ बख़्शे, और अगर कोई ऐसा करे तो बेशक ज़्यादा सवाब की हक़दार होगी,

तुम्हारा रब फरमाता है कुरआन सुराह: 99 आयत: 7 में

“तो जो एक ज़र्रा भर भलाई करे उसे देखेगा”

और फरमाता है सुराह: 94 आयात: 5-6 में

“तो बेशक दुशवारी के साथ आसानी है, बेशक दुशवारी के साथ आसानी है”

والله تعالى اعلم بالصواب والله يرجع اليه مآب

सुवाल 2

जनाब क्या औरत आइब्रो बनवाए तो कुछ हर्ज है क्या ये गुनाह है जवाब दें तो सवाब पाए

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

बुखारी की हदीसे- पाक में ऐसी औरतो पर लानत फरमाई और इसे क़यामत की निशानी में शुमार फरमाया की आखरी ज़माने में औरते अपनी भवों के

बाल नोचेंगी, फरमाया: (खुलासा ए अहादीस ए मुबारका)

औरत हसीन बनने के लिए भवों के बाल नोचे उस पर अल्लाह की लानत है और गोदने वाली और गुदवाने वालीओ पर भी .. इसी तरह मर्दों की वाज़ेह बनाने वालीओ पर भी... मुँह के बाल नोचने वालीओ पर (अल्लाह की बनावट में तब्दीली करती है)

उम्दतुलक़ारी शरह बुखारी में इस हदीस से पाक की शरह इस तरह ब्यान की (खुलासा) हदीस में हसीन बनने के लिए लानत आई लिहाज़ा इस कैद का लिहाज़ रखा जाएगा, यानी कोई खूबसूरत है और मज़ीद खूबसूरत बनने के लिए भवे बनवाए तो इस हदीस की ज़द में है, लानत के तहत है। और अगर किसी औरत के भवे इस क़द्र है की जिससे चेहरा बदनुमा लगता है जिससे रिश्ते में रुकावट या फ़र्क़ आता हो या रिश्ता टूटने का ख़तरा हो तो इस बदनुमाई से बचने के लिए ज़रूरतन ऐसा करे तो हर्ज नहीं.. मगर नियत यही हो की बदनुमाई से बचने के लिए नाकी खूबसूरत दिखने के लिए.. और अगर ऐसी कोई बात नहीं महैज़ शोहर के लिए ऐसा करेगी तो भी गुनहगार होगी, अल्लाह और उसके रसूल की हुक़म में किसी की इतात जाइज़ नहीं और फरमाता है तुम्हारा रब अपने कलाम में की: **रसूल जो दें लेलो, जिससे मना करें, बाज़ रहो.**

والله تعالى اعلم بالصواب والله يرجع اليه مآب

सुवाल 3

औरते भी इज्तिमा का काम करती है और तक़रीर भी करती है और तक़रीर के बाद सलाम भी पड़ती है मईक में यह सब करना ठीक है ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

इस सुवाल में 3 अलग अलग सुवाल दर्ज है,

1.- औरते इज्तिमे के काम करती है- अगर ये औरते दीने- मतीन की तब्लीग़ के लिए घर से जाती है और पर्दे की शराइत पर किसी के घर जा कर औरते जमा होती है, फिर कुछ नात, कुरआन, नमाज़ वगेरा सीखती है, और इनके जाने की इजाज़त घर में शोहर या ग़ैर शादी शुदा को वालिद की तरफ से है तो हर्ज नहीं, बल्कि सवाब का काम है, की आज कल ज़हालत औरतो में ज़्यादा पाई जाती है, तो अगर कोई क़ाबिल औरत ये ज़िम्मा उठाए की हफ्ते में एक या दो दिन, घर के आसपास ही या अपने घर जहाँ शरई तोर पर पर्दा

हो और ग़ैर मर्द का दखल ना हो और इल्मे दीन सीखे सिखाए तो अच्छा है, और इल्म सीखना खास कर अपनी ज़रूरत के मसाइल तो हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, मगर औरत 92 K/M से ज़्यादा तन्हा सफ़र नहीं कर सकती, और इलाक़े में भी आसपास हो और मगरिब से पहले अपने घर आ जाए, अगर यही मामला है तो इलाक़े वाले सुन्नी मुसलमानों को चाहिए की वो भी अपने घर से बच्चियों को वहा भेजे ताकि वो भी कुछ फ़र्ज़, अदब, पर्दा, नमाज़ वगैरा, सीख सके, वरना घर में सिवाए टीवी, फिल्म सीरियल के कुछ होता देखा नहीं जाता, और औरत को ग़ैर मर्द से पढ़ने से बेहतर है की इसी तरह औरतों के इज्तिमा में भेजा जाए ताकि कुछ हासिल हो, हदीस में आया की “अगर तेरे ज़रिए से अल्लाह किसी एक शख्स की भी इस्लाह फरमा दे तो ये तेरे लिए हर उस चीज़ से बेहतर है जिस पर सूरज चमकता है,” जबकि ये औरतें सुन्नी हो ना की देवबंदी, वरना देवबंदियों की तालीम में घर से औरतों को भेजना या जाना हराम है,

2.- औरतें तक़रीर करती हैं- अगर औरत किताब देख कर तक़रीर करती है और अच्छा पढ़ना जानती है और अपनी तरफ से कुछ ग़लत ब्यानी नहीं करती तो सिर्फ़ उर्दू या हिन्दी पढ़ने वाली औरत को इस तरह देख कर ब्यान करना जाइज़ है, फिर चाहै वो आलिमा ना हो, और अगर वो (माशा अल्लाह) आलिमा है तो आलिमा को बग़ैर देखे तक़रीर जाइज़ है, और आलिमा नहीं तो ग़ैर आलिमा को बे देखे वाज़ (ब्यान) हराम है और उसका सुनना भी हराम,

3.- औरतें MIC पर सलाम भी पढ़ती हैं- औरतों का बाद इज्तिमा सलाम पढ़ना जाइज़ है, जबकि आवाज़ ग़ैर तक ना जाए और अगर आवाज़ जाने का ख़तरा हो तो बग़ैर मर्दों के ही पढ़े, और मर्दों का हुक्म उपर के सभी सुवाल में लगाया जाएगा, की औरत ब्यान, सलाम में मर्दों जब ही इस्तेमाल करे

जब आवाज़ बाहर ना जाए, मसलन, किसी टॉप फ्लोर पर इज्तिमा या सलाम हो रहा है और मईक की आवाज़ उस फ्लेट से बाहर नहीं आती या उस कमरे से बाहर नहीं आती तो मईक में पढ़ने में हर्ज नहीं करना मईक से परहैज़ करना चाहिए.,

والله تعالى اعلم وعلمه جل مجده اتم واحكم.

सुवाल 4

हज़रत औरते साड़ी जो बाँधती हैं काफ़िर औरतो की तरह क्या वो सही है ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

साड़ी पहनने में हर्ज नहीं हर्ज साड़ी में उस वक़्त होगा, जब ग़ैर मर्द के सामने जाएगी की सित्र का पर्दा ना हो सकेगा, या हालत ए नमाज़ में अगर सित्र दिखाई देता है तो नमाज़ नहीं होगी, अगर ऐसा कुछ नहीं सिर्फ़ घर में अपने शोहर के साथ है तो पहन सकती है. मगर इसकी आदत ना करे क्यूंकी कभी तो कोई रिश्तेदार मेहमान वग़ैरा घर में आएगा ही और वही लिबास इख्तियार करना चाहिए जिससे पर्दा-पोशी ज़्यादा हो सके

والله تعالى اعلم

सुवाल 5

अगर औरते सोने चाँदी के सिवा आर्टिफिशियल-जेवेलरी या कुछ और पहनती है क्या उस पे नमाज़ नहीं होती है

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

सद्र-उसशरीया मुफ़ती अमजद अली आज़मी फरमाते हैं,

(सोने चाँदी के अलावा) दूसरे धात की अंगूठी पहनना हराम है मसलन, लोहा पीतल, तांबा जस्ता वगैरा, इन धातों की अंगूठिया मर्द वा औरत दोनों के लिए नाजाइज़ है

बहारे शरीअत जिल्द: 3 सफ़ह: 426

फतावा बरेली शरीफ मे है,
लोहा वा तांबा पीतल वा गिल्ट की अंगूठी मर्द औरत दोनो के लिए और सोने की मर्दों के लिए नाजाइज़ वा हराम बाज़ फुकुहा ने मकरूह लिखा है लेकिन सही यही है की हराम है इन्हे पहनकर नमाज़ मकरूह है तहरीमी वाजिब उल ईयादा होगी,

फतावा फैजुरसूल जिल्द: 1 सफह: 375 पर है.

तांबा पीतल और लोहा के जेवरात पहन कर पढ़ने से नमाज़ मकरूह है तहरीमी होगी

دُرِّے مُخْتَارِ مَے هَے كَل صَلَوة اَدِیت مَعَ كَرَاهَةِ التَّحْرِیمِ وَجِبَ اِعَادَتُهَا

यानी, हर वो नमाज़ जो कराहते तहरीमी के साथ अदा की गई हो उसका लौटाना वाजिब होता है

खुलासा ए कलाम ये है की,

सोना चाँदी के अलावा किसी और धात का ज़ेवर औरत को पहनना जाइज़ नहीं है, और अगर उसे पहन कर नमाज़ पढ़ी जाएगी तो वो नमाज़ फिर से पढ़नी होगी,

والله سُبْحٰنَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ

सुवाल 6

नापाक कपड़ा धोने के बाद क्या गुस्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है ? नापाकी किन किन चीज़ों से होती है. ?

जवाब: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

नापाक कपड़ा धोने के बाद गुस्ल करना फ़र्ज़ नहीं होता, चाहे धोते वक़्त कपड़े की सारी गंदगी अपने उपर आ जाए तब भी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, बस उस नजासत को धोना ज़रूरी होगा,

मैं साइल के इस सुवाल से इतना समझ पा रहा हूँ की वो पूछना चाहता है कब आदमी नापाक हो जाता है, कब गुस्ल फ़र्ज़/वाजिब होता है,

5 चीज़े पाई जाए तो इंसान पर गुस्ल वाजिब होता

1. मनी का अपनी जगह से शहवत (सेक्स) के साथ निकलने से गुस्ल वाजिब होता है, मसलन: किसी ने गंदे ख्याल जमा कर अपने ही हाथ से मानी निकाली तो गुस्ल वाजिब है और अगर ये मनी शहवत के साथ झटके के साथ ना निकली बस गंदी चीज़ को देखने से क्रतरा या सफेद पानी निकला और उसका निकलना मालूम भी नहीं हुआ तो वो मनी नहीं यानी उसपे गुस्ल वाजिब नहीं.

2. एहतिलाम:- सोते मे मनी का निकलने से गुस्ल वाजिब है, इसमे शर्त है की. कपड़े पर निशान पाया जाए. अगर एहतिलाम होना याद है, या ख्वाब याद है, मगर कपड़े पर मनी का कोई निशान नहीं तो गुस्ल वाजिब नहीं,

3. दुखूल:- कोई मर्द अपने शर्मगाह (पेनिस) को किसी औरत की शर्मगाह (वेजाइना) मे या पीछे दुबार (बूम) मे दाखिल करे या मर्द, मर्द की पीछे दाखिल करे इन सुरतों मे गुस्ल वाजिब दोनो पर है चाहै मनी निकले या नहीं

4. हैज़- जब औरत हैज़ से फारिग हो जाए तो गुस्ल वाजिब है.

5. निफास- औलाद की विलादत के बाद जो औरत को खून आता है उसे निफास कहते है, उससे फारिग होने के बाद.

मदनी मशवरा:

यक़ीनन हर आक़िल बालिग़ मुसलमान पर इन बातों का सीखना फ़र्ज़ है, मगर बाज़ लोग शर्म से इन चीज़ों को नहीं सीखते और ना किसी से पूछते है और ना कभी इन बातों को किसी आलिमे दीन की बारगाह मे जा कर सीखते है, खुदा भला करे साइल का की लोगो के लिए ये सुवाल करके आसानी कर दी. अल्लाह ता'आला इसे दोनो जहाँ मे भलाइयाँ आता करे.

“और अल्लाह हक़ फरमाने मे नहीं शरमाता” (पारा:22, आहज़ब, आयत:53)

والله تعالى أعلم بالصواب

सुवाल 7

क्या औरतें पराए मर्द को सलाम कर सकती हैं ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

जब (ग़ैर मेहरम) मर्द औरत मिले तो बेहतर ये है की पहले मर्द सलाम करे, और अगर औरत सलाम कर भी दे तो मर्द को उसका जवाब ज़ोर से देना वाजिब नहीं बल्कि दिल में दे सकता है औरत की आवाज़ औरत है चाहिए की ग़ैर मर्द को बिला वजह अपनी आवाज़ ना सुनाये और वजह ये हो सकती है की खास करीबी ग़ैर मेहरम रिश्तेदार हो, और मेहमान बन कर घर आए और सलाम ना करने से औरत को बुरा भला या घमंडी करार दें या दूसरे रिश्तेदार में गीबत करे की फूला की बीवी या बहू सलाम नहीं करती तो इस फ़िस्ने को दफ़ा करने के लिए पर्दे में रह कर सलाम किया जा सकता है,

बहारे शरीअत जिल्द:3 सफ़ह: 461 पर है,

मर्द औरत की मुलाक़ात हो तो मर्द, औरत को सलाम करे, और अगर औरत अजनबिया ने मर्द को सलाम कर दिया और बूढ़ी हो तो इस तरह जवाब दे की वो भी सुन ले और जवान हो तो इस तरह जवाब दे की वो ना सुने

والله سبحانه وتعالى اعلم

सुवाल 8

क्या हमें कुरआन के सजदे तुरंत करने चाहिए और इसकी नियत कैसे मुकम्मल होगी

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

कुरआनी आयात के सजदे (नमाज़ में) फोरन करना वाजिब है, मगर नमाज़ के बाहर फोरन वाजिब नहीं और, इसी तरह उस आयत को पढ़ने वाले के साथ साथ सुनने वाले पर भी सजदा करना वाजिब होता है, और ये भी देखा जाता है की कुरआन कोई पढ़ता है और सजदे किसी और से करवाता है ये भी ग़लत

है, यानी कुरआन पूरा करके जिससे बख्शवाते हैं, उसी से सजदे करवाते हैं, ये तरीका सही नहीं है,

बहारे शरीअत जिल्द: 1 सफह: 733 पर है

“आयते सजदा नमाज़ के बाहर पढ़ी तो फोरन सजदा कर लेना वाजिब नहीं, हाँ बेहतर है”

और ये ज़रूरी नहीं की आयत को अरबी में ही पढ़ा जाए बल्कि उसका तर्जुमा भी पढ़ा या सुना तो भी सजदा वाजिब होता है जैसा की बहारे शरीअत

जिल्द: 1 सफा: 730 पर है “फ़ारसी या किसी और जुबान में आयत का तर्जुमा पढ़ा तो पढ़ने वाले और सुनने वाले पर सजदा वाजिब हो गया, चाहे सुनने वाले ने ये समझा हो या ना समझा हो की ये आयते सजदा का तर्जुमा है. अलबत्ता ये ज़रूरी है की उसे नामालूम हो और बता दिया गया हो की ये आयते सजदा का तर्जुमा है,”

सजदे की नियत ये करना ज़रूरी नहीं की फूला आयत का सजदा कर रहा हूँ, बस दिल में सजदे की नियत काफ़ी है, दुरे मुख्तार जिल्द: 2 सफा: 499 पर है,

“इसकी नियत में ये शर्त नहीं की फूला आयत का सजदा कर रहा हूँ, बल्कि मुतलक़ान सजदा ए तिलावत की नियत काफ़ी है,”

आयते सजदा का तरीका ये है की जब सजदे की आयत पढ़े तो फोरन कुरआन साइड में रख कर सजदे कर ले, यानी बैठे बैठे भी हो सकता है, सिर्फ़ सजदा करना काफ़ी है सजदे की तसबीह ना भी पढ़ी तो भी हर्ज़ नहीं और बेहतर ये है की खड़े हो कर, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाए और 3 बार सजदे की तसबीह पढ़े, फिर खड़ा हो, ये सुन्नत है जैसा की

फतावा आलमगीरी जिल्द: 1 सफा: 130 पर है,

“सजदे का सुन्नत तरीका यह है की खड़े हो कर “अल्लाहु अकबर” कहता हुए सजदे में जाए और कम से कम 3 बार (सजदे की तसबीह कहै) फिर अल्लाहु

अकबर कहते हुए खड़ा हो जाए, अब्बल आखिर अल्लाहु अकबर कहना सुन्नत है और खड़े हो कर सजदे में जाना और फिर खड़े होना मुस्तहब है”

तनवीरुल अबसार जिल्द: 2 सफ़ा: 700 पर है,
सजदा ए तिलावत के लिए अल्लाहु अकबर कहते वक़्त ना हाथ उठाना है ना
उसमे तशाहुद है ना सलाम,
وَهُوَ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

सुवाल 9

क्या फरमाते हैं मुफ्तीयाने किराम दर्जे ज़ेल मसअला के बारे में की क्या कोई शौहर और बीवी एक जमा'अत के साथ अपने घर में नमाज़ पढ़ सकते हैं ?

(بَيِّنُوا تَوَجُّرًا) (ब्यान फरमाये अजर दिए जयोगे)

जवाब: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

हर ज़ी-अक़ल औरत को ये मेरा रोशन ब्यान है,
ता-उम्र उसके हक़ में उसका शोहर ही इमाम है

हर ज़ी-अक़ल मर्द पर ये दलील मेरी क़ावी है,
हर औरत उसके हक़ में ता-उमर मुक़्तदी है

‘हमेशा से सभी तारीफ़ उसी अज़मत वाले अल्लाह की जिसने मर्द को अपनी बीवी के हक़ में इमाम किया सरदार बनाया और औरत को उसी की पेरवी का हुक्म दिया और शोहर के लिए राहते-रूह ओ क़ल्बों-जिगर, यानी ता उमर इसकी हमसफ़र, से आलमे शोहर को ज़ीनत बख़्शी, और हर लम्हा दुरूद उस हबीब पर जिसने 11 को अपना खास मुक़्तदी किया और हथ्र में तो वही सबका इमाम होगा, और सलाम अहले बैत और शहीद ए करबला और ज़ख़्मी ए करबला पर.

मर्द को इलाक़े की मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज़ जमाअत से पढ़ना वाजिब है, और किसी शरई उजर के साथ अगर जमाअत तर्क हो गई तो घर पर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ सकता है, और मेहरम और बीबी के साथ जमाअत भी का'इम करके पढ़ने में भी हर्ज नहीं, और इमाम बनने वाले में इमामत की शराइत पाई जाती हो, मसलन कम से कम इतनी क़िराअत जानता हो की नमाज़ फ़ासिद ना कर दे, और खुद ऐलानिया फ़ासिक ना हो, और तहारत और नमाज़ के मसाइल से भी वाक़िफ़ हो तो जमाअत से बीबी के साथ बल्कि हर मेहरम यानी बहैन, मां वग़ैरा के साथ भी नमाज़, को घर में बा-जमाअत अदा कर सकता है, जैसा की आलाहज़रत इमाम अहले सुन्नत, अज़ीम उल बरकत, अज़ीम उल मर्तबत मुजद्दिदे दीन ओ मिल्लत, परवाना ए शमा ए रिसालत, इमाम ए इश्क़ ओ मुहब्बत, वली ए नेमत, पीर ए तरीक़त, आलिम ए शरीअत, हामिये सुन्नत माहिए बिदअत, का'ताए नज़दियत, बाइस ए खैर ओ बरकत, अल-हाज, अल-हाफ़िज़, अल-मुफ़्ती, असशाह इमाम अहमद रज़ा (अलैहीररेहमा) अपनी मक़बूल ए दो जहाँ, तस्लीफ़, फ़तावा रज़विया जिल्द:6 सफ़ह:492 पर है पर इरशाद फरमाते हैं

“और अगर जमाअत में जितनी औरतें उसकी मेहरम या बीबी या हद्दे शहवत तक ना पहुँची लड़कियों के सिवा (कोई) नहीं तो (जमाअत से नमाज़ पढ़ना) बिला कराहत जाइज़ है, और ना-मेहरम (शहवत को पहुँची हुई) हो तो मकरूह बहरहाल”

बहारे शरीअत जिल्द:1 सफ़ह: 584 पर है

“जिस घर में औरतें ही औरतें हो उस घर में मर्द को उनकी इमामत नाजाइज़, हाँ, अगर उन औरतों में, उसकी नसबी महारीम हो, या बीबी... (तो जमाअत से नमाज़ जाइज़ है)

मगर इस सूरत में जब की इमाम मर्द हो और औरत मुक्तदी तो औरत यानी बीवी मर्द के पीछे खड़ी होगी ना की बराबर में, की औरत का मर्द के बराबर खड़े होने से नमाज़ मकरूह होगी और इस तरह खड़े होना नाजाइज़ होगा,

फतावा काज़ी-ख़ान जिल्द:1 सफ़ह:48 पर है,

المراة اذا صلت مع زوجها في البيت ان كان قدماها بجذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتها بالجماعة وان كان قدماها خلف قدم الزوج الا انها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج جازت صلاتها لان العبرة للقدم

यानी:-किसी औरत ने जब अपने शोहर के साथ घर में नमाज़ अदा की हो, अगर उसके क़दम शोहर के क़दम के मुक़ाबिल हों, तो दोनों की नमाज़ बा-जमाअत जाइज़ ना होगी, और अगर उस (बीवी) का क़दम शोहर के क़दम के पीछे, है (या औरत का क़दम लंबा होने की वजह से औरत का सर हालत ए सजदा में शोहर के सर से आगे होता हो) फिर भी दोनों की नमाज़ दुरुस्त होगी, क्यूंकी ऐतबार क़दम का है,”

फतावा अलामगीरी जिल्द:1 सफ़ह:88 पर है,

“अगर अकेली औरत मुक्तदी है तो पीछे खड़ी हो, और ज़्यादा औरतें हो जब भी यही हुक्म है”

फतावा रज़विया जिल्द:6 सफ़ह:492 पर है,

“अगर औरत इस क़दर पीछे खड़ी है की उसका क़दम मर्द के क़दम या किसी उज़ब के मुहाज़ी नहीं तो (बीवी अपने शोहर के पीछे नमाज़ में) इक़तिदा सही है, और दोनों की नमाज़ हो जाएगी,
والله تعالى اعلم بالصواب والله يرجع اليه مآب

सुवाल 10

हज़रत जिनकी कोई औलाद ना हो तो क्या शरीअत उसे बच्चा गोद लेने की इजाज़त देती है ? अगर हाँ तो इसके बारे में जवाब हवाले के साथ देने की मेहरबानी करे.

بسم الله الرحمن الرحيم: जवाब:

हर औलाद वालिद के हक़ मे इक नायाब हीरा है,
बाप का नाम बदलना ही तो गुनाहै कबीरा है

बच्चा गोद लेने की इजाज़त है, मगर लोग उसके असली बाप की जगह अपना नाम लिखते है इसकी इजाज़त नही मसलन, अगर आपने किसी रिश्तेदार का बच्चा गोद लिया तो उसके सभी डॉक्युमेंट्स पर यहाँ तक की शादी कार्ड पर भी, उसके ही असली बाप का नाम होगा, उसका नही जिसने गोद लिया, हदीस मे बाप, ज़ात, खानदान बिरादरी बदलने वाले पर लानत आई है, और एक शख्स की औलाद को दूसरे की तरफ मंसूब करके पुकारने से मना किया है, इसी तरह दूसरे की औलाद को अपनी तरफ मंसूब नही किया जा सकता

कुरआने पाक मे अल्लाह का इरशाद है: सुरे: अहज़ाब आयत 4-5

“और ना तुम्हारे ले-पालको को तुम्हारा बेटा बनाया, ये तुम्हारे अपने मुँह का कहना है, और अल्लाह हक़ फरमाता है और वही राह दिखाता है, उन्हे उनके बाप ही का कह कर पुकारो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा ठीक है, फिर अगर तुम्हे उनके बाप मालूम ना हो तो दीन मे तुम्हारे भाई हैं,”

आलाहज़रत इमाम ए अहले सुन्नत फतावा रज़विया जिल्द:13 सफह: 361 पर लिखते हैं,

हदीस मे फरमाया: من ادعى الى غيرايه فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه يوم القيمة صرفا ولا عدلا

जो अपने बाप के सिवा दूसरे की तरफ अपने आप को निसबत करे, इस पर खुद अल्लाह और सब फिरिश्ते और आदमियों की लानत, अल्लाह ता'ला कल क्रियामत के दिन इसका ना फ़र्ज़ कुबूल करे ना नफ़िल, अलबत्ता सरपरस्त की जगह गोद लेने वाला अपना नाम लिखवा सकता है पर बाप की जगह नही.

और एक खास बात इस मसले में ये भी है की, अगर किसी ने बाहर (ग़ैर रिश्तेदार) से कोई लड़का गोद लिया और उसे अपनी बीवी से दूध नहीं पिलवाया तो बालिग़ होने पर खुद इसकी बीवी यानी मुँह बोली माँ और इसकी बेटियों से भी इसका पर्दा वाजिब होगा, इसी तरह लड़की गोद लेने पर खुद इसका यानी मुँह बोले बाप और इसके बेटों से पर्दा, अगर भाई के बेटे को गोद लिया और दूध ना पिलवाया तो भी यही हुक्म है, और अगर इसकी बीवी के अब दूध नहीं आता तो इसके बहैन से पिलवाए, यानी साली से वरना अपनी बहैन से, मगर इन सुरतों में इन दोनों के पर्दों में तो रियायत होगी मगर इसकी औलाद के लिए अब भी वही हुक्म होगा की पर्दा वाजिब होगा, और सबसे बेहतर ये है, की अपनी ही बीवी से दूध पिलवाए ताकि, इनके बच्चों से भी पर्दे में रियायत मिले, वरना इस तरह मुँह बोले रिश्तों में ये शख्स हमेशा गुनहगार होता रहेगा,
وَهُوَ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

सुवाल 11.

क्या नमाज़ में क़िराअत के अल्फ़ाज़ सही मख़रज़ से अदा ना हुए तो क्या नमाज़ ना हुई? वजाहत फरमाये

जवाब: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

क़िराअत ग़लत होने की कई सूरतें हैं, कुछ में नमाज़ टूट जाएगी, जबकि मायने फ़ासिद हो और बाज़ सुरतों में नमाज़ हो जाती है, जैसा ख़ता फ़िल एराब (एराब की ग़लती) इससे नमाज़ हो जाती है इसी पर फ़तवा है. वरना किस सूरत में क्या ग़लती हुई वो ब्यान की जाए,

फ़तावा रज़विया जिल्द:6 सफ़ह:248 पर है,

एराब मे ग़लती (यानी: हरकत, सुकून, तशदीद, तखफ़ीफ, क़सरा मद) की ग़लती मे उलमा ए मुताख़िरीन का फतवा तो ये है की, अलल-इत्तिलाक़ इससे नमाज़ नही जाती,

في الدراختار وزلة القارى لو في اعراب لا تفسد وان غير المعنى به يفتى

दूरें मुख़्तार मे है, क़िराअत करने वाले की ग़लती अगर एराब मे हो तो नमाज़ फ़ासिद नही होगी अगरचे उसके मअना बदल जाएँ, इस पर फतवा है” फतावा अलामगीरी मे है

“वक्फ़ वा वस्ल की ग़लती कोई चीज़ नही, यहाँ तक की अगर वक्फ़ लाज़िम पर ना ठहरा, बुरा किया मगर नमाज़ ना गई”

बहारे शरीअत जिल्द:1 सफ़ह:554 पर है

“एराबी ग़लतियाँ अगर ऐसी हैं जिससे मा’ने ना बिगड़ते हो तो मुफ़्सिद नही” अगर ऐसी ख़ता की, की जिससे मा’ना बदल जाए, तो ज़रूर नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी, और बाज़ सुरतों मे जबकि मा’ना जानता है, और फिर भी बदल दिया तो काफ़िर भी होगा,

बहारे शरीअत जिल्द:1 सफ़ह:554 पर है,

“अगर ऐसी ग़लती हुई जिससे मा’ने बिगड़ गये तो नमाज़ फ़ासिद होगी”

और लफ़ज़ो को बदल देने का ये मतलब होता है की, अगर कोई लफ़ज़ किसी और लफ़ज़ से बदल दिया, और मा’ना फ़ासिद ना हो तो नमाज़ हो जाएगी, वरना नही, और करिबुस-सौत अल्फ़ाज़ (एक जैसी आवाज़ वाले) हुरूफ़ो का भी सही तोर पर इम्तियाज़ रखे वरना मा’ना फ़ासिद होने की सूरत मे नमाज़ जाती रहैगी

(...ح-ه, ص-ث-س, -ط-ت) वगेरा हुरूफ़ मे इम्तियाज़ चाहिए,)

दूरे मुख्तार जिल्द:1 सफह:431 पर है

من لا يقدر على التلفظ بحرف من الحروف كالرهمّن الرهمّ والشيتان الرهمّ والالمين وایک نابد
و ایاک نستئین السرات، انأمت فكل ذلك حکمہ مامر من بذل الجهد دائما والا فلا تصح
الصلوة به

यानी: जो शख्स हुरूफ़ ए तहैज़्जी मे से किसी हुरूफ़ के सही तलफ़फ़ुज़ पर
क्रादिर ना हो, मसलन... الرحمن الرحيم की जगह.. الرهمّن الرهمّ की जगह.. الشيتان ..
ایک की जगह.. ایاک نعبد और.. الالمين.. العالمين की जगह.. الشيتان.. نابد
.. الجهد دائما والا فلا تصح की जगह.. نستئین.. السرات की जगह.. انأمت की जगह..
पढ़ता है तो इन तमाम सुरतो मे अगर कोई हमेशा दुरुस्त अदायगी की
कोशिश के बावजूद ऐसा करता है तो नमाज़ दुरुस्त होगी, वरना नमाज़
दुरुस्त ना होगी,

और सीखने पर जान लड़ा कर कोशिश ना की इसकी खुद की नमाज़ नही
होगी,

फतावा रज़वीय्या जिल्द:6 सफह:262 पर है,

“अहम् चीज़ो मे से तजवीद ए कुरआन सीखना भी है... कुरा किराअत का
सिलसिला भी हुज़ूर तक पहुचता है, और उलमा ने तजवीद के बग़ैर कुरआन
पढ़ने को ग़लत पढ़ना करार दिया,

फतावा बाज़्ज़रिया में है, ان اللحن حرام بلاخلاف (ग़लत पढ़ना बिला-इज़मा
हराम है)

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

सुवाल 12.

ड्यूरिंग प्रेग्नेन्सी, बच्चे मे कितने दिनो के बाद जान आ जाती है, प्लीज़ रिप्लाइ
मी अकॉर्डिंग टू कुरआन रेफ़्रेंस

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

कुरआने पाक मे तुम्हे पैदा करने वाला अल्लाह फरमाता है, (सुराह हज्ज, आयत: 05)

“हमने तुम्हे पैदा किया मिट्टी से और पानी की बूँद (मनी) से, फिर खून की फटक से फिर गोश्त की बोटी से, नक़्शा बनी और बे-बनी, ताकि हम तुम्हारे लिए अपनी निशानियाँ ज़ाहिर फरमाएँ, और हम ठहराए रखते हैं, माओ (मदर्स) के पेट मे जिसे चाहै, एक मुक़र्रर वक़्त तक”

तफ़सीर ए कुरतबी जिल्द:6 सफ़ह: 338-339 पर है

“हज़रत इब्रे उमर (रदियल्लाह अन्हु) से रिवायत है की, नुतफ़ा (मनी का क़तरा) जब औरत के पेट मे क़रार पाता है तो एक फिरिशता उसे अपनी हथेली पर लेता है, और अर्ज़ करता है या रब, मुज़क़्क़र या मुअन्नस (मेल या फीमेल), शक्रि या सा’आदत मंद (बदनसीब या खुश -नसीब), इसकी मुद्दत(उमर) और अन्न क्या है, किस ज़मीन मे मरेगा, उस फिरिशते से कहा जाता है, तू लोह ए महफूज़ की तरफ जा वहाँ तुझे इसका क्रिस्सा मिल जाएगा, वह फिरिशता ऐसा ही करता है और उसका क्रिस्सा पा लेता है, फिर वह क़तरा इंसान बन जाता है, अपनी तक्रदीर मे लिखा रिज़क़ ख़ाता है, इमाम अहमद बिन हंबल ने सही रिवायत से मुसनद अहमद हदीस 12157 पर नक़ल किया

“जब नुतफे पर 42 राते गुज़रती है, तो अल्लाह उसकी तरफ एक फिरिशता भेजता है, जो उसकी सूरत बनाता है, उसके कान उसकी आँखें उसकी ज़िल्द उसकी हड्डियाँ”

अब्दुल्लाह बिन मस’ऊद से मरवी है फरमाया हुज़ूर ने

“तुम मे से हर एक की पैदाइश उसकी माँ के पेट मे 40 दिन के मरहले से होती है, फिर 40 दिन वह खून की हैसियत से रहता है, फिर 40 दिन गोश्त के लोथड़े की शकल मे रहता है, फिर एक फिरिश्ता उसमे रूह डालता है, उसे 4 चीज़े लिखने का हुक्म दिया जाता है, रिज़क़, उमर, अमल, शक्ति या सा’आदत मंदी,

हदीस बुखारी और मुस्लिम मे ये रिवायत नक़ल है-

“तुम लोगो की पैदाइश माँ के पेट मे 40 दिन तक नुतफे की सूरत मे रहती है, फिर 40 दिन तक जमे हुए खून की सूरत मे, फिर 40 दिन गोश्त की बोटी की तरह, (यानी करीब 4 माह कुछ दिन)

फिर अल्लाह एक फिरिश्ता भेजता है, जो उसका रिज़क़, उसकी उमर, उसका अमल, और उसका बद-बख़्त और स’आदत मंद होना लिखता है,”

उलमा का इसमे कोई इकतिलाफ़ नही की रूह 120 दिन के बाद फूँकी जाती है, ये 4 महीने मुक़ाम्मल हो जाते है और 5वे का अगाज़ होता है, जैसा की (हमने हदीस के ज़रिए ब्यान किया (और यही इद्दत का वक़्त होता है
والله تعالى اعلم وعلمه جل مجده اتم واحكم-

सवाल 13.

हज़रत औरतो को कब नमाज़ अदा करनी चाहिए जैसे फज़ की अज़ान हुई और अज़ान के बाद ही नमाज़ शुरू कर दी, मतलब औरतो को क्या मर्दों के टाइम पर ही पढ़ना चाहिए, ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

जब जिस नमाज़ का वक़्त हो जाए नमाज़ पढ़ लेने से नमाज़ अदा हो जाएगी क्यूंकी औरतो पर जमाअत से नमाज़ पढ़ना वाजिब नही इसलिए वो अज़ान होते ही, या अज़ान ना भी हो वक़्त होते ही नमाज़ पढ़े तो भी कोई हर्ज़ नही और नमाज़ सही अदा होगी, अब रहा बेहतर क्या है, तो बेहतर ये है की

औरत (अपने इलाक़े की मस्जिद की) मर्दों की जमाअत ख़तम होने के बाद नमाज़ पढ़े, मगर मगरिब फ़ौरन पढ़े इसमें देर ना करे, और फ़ज्र अंधेरे में ना पढ़े क़छ उजाला होने दे, जैसा की फ़ज्र के बारे में हदीसे- पाक में फरमाया गया और इसे तिरमिज़ी ने नक़ल किया

“फ़ज्र की नमाज़ उजाले में पढ़ो की इसमें बहुत अज़ीम सबाब है” और हदीस कंज़ुल उम्माल ने हज़रत अनस से रिवायत किया की “इससे तुम्हारी मगफ़िरत हो जाएगी”

और तबरानी ने अबु हुरैरा से नक़ल किया की

“मेरी उम्मत हक़ पर रहैगी, जब तक फ़ज्र उजाले में पढ़े”

इन हदीसों से यही साबित होता है की फ़ज्र अंधेरे में नहीं पढ़ना चाहिए, (मगर पढ़ी तो गुनाह नहीं, नमाज़ हो जाएगी) इसलिए फ़ज्र की अज़ान के बाद जमाअत में काफ़ी वक़्त होता है, उसकी अस्ल यही हदीसे हैं, और क्यूंकी रमज़ान में सेहरी के बाद सो जाने का ख़ौफ़ है इसलिए जल्दी पढ़ी जाती है, औरतो को क्यूंकी जमाअत वाजिब नहीं इसलिए इन्हे ज़ोहर में देर करके पढ़ना चाहिए, हदीस बुखारी और मुस्लिम में फरमाया:

“ज़ोहर को ठंडा करके पढ़ो की सख़्त गर्मी जहन्नम के जोश से है”

इस हदीस की रोशनी में पता चला की ज़ोहर में देर करके पढ़ना मस्तहब है, और मगरिब में देर नहीं करनी चाहिए फ़ौरन पढ़नी चाहिए हदीस में फरमाया इसे अबु दावूद ने नक़ल किया “मेरी उम्मत हमेशा हक़ पर रहैगी, जब तक मगरिब में इतनी देर ना करे की सितारे गुथ जाए”

इसलिए आपने देखा होगा की मगरिब की नमाज़ फ़ौरन अज़ान के बाद ही हो जाती है, उसकी अस्ल ये हदीस है,

फज़ले खुदा से नमाज़ का सही वक़्त और वज़ुहात को अहादीस की रोशनी में ब्यान कर दिया,

और खुलासा ए कलाम ये है की,

औरत वक़्त होने पर नमाज़ पढ़े तो गुनाह नहीं नमाज़ हो जाएगी, मगर मुस्तहब है की मर्दों की जमाअत होने दे, और फज़, में अगर जमाअत होने देने से वक़्त जाता हो तो पहले भी शुरू कर सकती है, और मगरिब में फ़ौरन अज़ान बाद ही शुरू करे,
والله تعالى أعلم بالصواب

सुवाल 14.

औरत की नस बंदी कराना कैसा है, क्या copper-T लगवा सकते हैं

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

नसबंदी चाहै औरत की हो या मर्द की करना और करवाना हराम है, गुनाहै कबीरा है, और हदीसे- पाक से इसकी मुमानियत साबित है, अगर ये दोनो किसी बच्चे की विलादत नहीं चाहते तो, आरज़ी तरीक़े इस्तेमाल करने चाहिए, (काँडम या दवा) ताकि आगे उम्मीद के दरवाज़े खले रहै, और नसबंदी करवाना यानी हमेशा के लिए औलाद की उम्मीद से महरूम रह जाना है, फ़तावा फ़ैज़रुरसूल जिल्द:02 सफ़ह:580 पर है

“दवा या रबर की थैली (काँडम) इस्तेमाल करना जाइज़ है, लेकिन किसी अमल से हमेशा के लिए बच्चा पैदा करने की सलाहियत को ख़तम कर देना जाइज़ नहीं,

मान लीजिए अगर किसी के 4 बच्चे हैं, अब ये सोचते हैं, की इन्हे आगे बच्चों की ज़रूरत नहीं, और ये नसबंदी करवा ले, खुदा ना करे, किसी हादसे या बीमारी में सारे बच्चे मर गये तो? अब क्या करेगा, और औरत को बच्चों की

ख्वाइश हुई तो ? या मर्द ने नसबंदी करवाई, और बीवी मर गई अब दूसरा निकाह करना चाहै और दूसरी औरत औलाद माँगे तो क्या करेगा? या औरत की नसबंदी करवा दी, और शोहर मर गया, या दोनो की तलाक़ हो गई, और औरत या शोहर दूसरा निकाह करना चाहै तो क्या करेगी, क्यूंकी इन्होने तो वो रास्ता अपनाया जिसमे आगे उम्मीद के सारे दरवाज़े बंद हैं, इससे घर बिगड़ने की नौबत आएगी, और ज़िंदगी भर अपनी औलाद से महरूमी, हाँ अगर ये दोनो कोई आरज़ी तरीक़ा यानी (काँडम, मेडिसीयन,) का इस्तेमाल करे तो बेहतर है, की इससे मक़सद वही हासिल होगा और आगे कोई ऊँच नीच होती है, तो घर नहीं बिगड़ेगा, उम्मीद है, आप मेरी बात समझ गये होंगे, की दूसरी चीज़े इस्तेमाल की जाएँ, नसबंदी के अलावा बाकी दूसरे समान जाइज़ है, (जबकि दोनो की रिज़ामंदी हो)

“काँपर-T” यानी एक ऐसा आला होता है, जो औरत के जिस्म मे इस्तेमाल होता है, इससे एक खास मुद्दत के लिए औलाद की पैदाइश रुक जाती है, फिर इसे निकाल देने पर औलाद की पैदाइश हो सकती है, इससे भी मक़सद पूरा होता है, और आगे औलाद की चाहत हो तो आदमी मजबूर नहीं होता, मगर इसके बारे मे मुझे किताब ए फ़िक़्र मे कोई इबारत ना मिली, कुरआन ओ हदीस की रोशनी मे बाज़ाहिर मुझे इसका इस्तेमाल जाइज़ नज़र आ रहा है, जिस तरह काँडोम का इस्तेमाल जाइज़ है, यानी अगर आदमी 3 साल तक लगातार काँडोम इस्तेमाल करे तो भी औलाद नहीं होती, काँपर-T मे भी ये है की एक बार ही इस्तेमाल होगी, जब उलमा ने काँडोम के जाइज़ होने का ब्यान किया तो इस क्रियास पर काँपर-T भी जाइज़ है, (जबकि दोनो की रिज़ामंदी हो) जैसा की फ़तावा फ़ैज़रसूल जिल्द:02 सफ़ह:580 पर है

“दवा या रबर की थेलि (काँडम) इस्तेमाल करना जाइज़ है

والله تعالى أعلم بالصواب

सुवाल 15

हज़रत अक़ीक़े का गोश्त (मीट) बच्चे के माँ बाप को खाना जायेज़ है या नहीं ?
जवाब का तलबगार हूँ

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

अगर माँ बाप का रोज़ा नहीं हो तो खाना बिल्कुल जाइज़ है, और रोज़ा हो तो वक़्त मगरिब भी खाना जाइज़ है, ये लोगो की कम इलमी की बातें हैं, इसका शरीअत मे कोई सबूत नहीं, ये अपनी अक़लो से बनाई गई, बातें हैं, बहारे शरीअत जिल्द:3 सफ़ह:357 पर है

“अवाम मे ये बहुत मशहूर है की अक़ीक़े के गोश्त बच्चे के माँ बाप, दादा दादी और नाना नानी ना खाएँ, ये महैज़ ग़लत है और इसका कोई सबूत नहीं”

वक्रारूल फतावा जिल्द:1 सफ़ा: 343 पर है

“अहकामे शरीअत को कुरआन ओ हदीस से मालूम किया जाता है अक़ल से नहीं जाना जा सकता”

والله تعالى اعلم بالصواب والله يرجع اليه مآب

सुवाल 16

नाहिदा (मुस्लिम लेडी) ने ज़ैद (मुस्लिम जेंट्स) को रक्षा बंधन की मुबारक बाद दी और अमर (काफ़िरा लेडी) ने ज़ैद को रक्षा बंधन की मुबारक बाद दी अब ज़ैद और नाहिदा पर क्या शरई हुक्म लगेगा? राखी बांधना या बंधवाना कैसा है?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

काफ़िर के “कॉमी शिआर” इख्तियार करना हराम होता है काफ़िर के “मज़हबी शिआर” को इख्तियार करना कुफ़्र होता है,

रक्षा बंधन काफ़िरो का कॉमी त्योहार है, मज़हबी त्योहार नहीं, किसी भी काफ़िर का कॉमी शिआर इख्तियार करना हराम गुनाह है जैसे होली खेलना, जो चीज़ उनके मज़हब में इबादत मानी जाती है वो कुफ़्र है, जिस मुसलमान औरत ने मर्द को राखी बाँधी और जिस मर्द ने मुसलमान और ग़ैर मुसलमान औरत से राखी बाँधवाई, ये दोनों यानी नाहिदा, ज़ैद फासिक, फाजिर, सख़्त गुनहगार, अज़ाब के हक़दार है, लेकिन काफ़िर नहीं क्यूंकी राखी बांधना (ग़ैर मुस्लिम) का कॉमी त्योहार है, मज़हबी नहीं

हज़रत शारेह बुखारी, फ़किह ए आज़म ए हिंद, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शरीफ़ उल हक़ अमज़दी साहिब फ़तावा शारेह बुखारी

जिल्द: 2 सफ़ह: 568 पर लिखते हैं

जिन मुसलमान औरतों ने हिन्दुओं को ये डोरा बांधा, जिन मुसलमान मर्दों ने हिंदू औरतों से ये डोरा बाँधवाया सब फासिक, फाजिर, गुनहगार, अज़ाब के हक़दार है, लेकिन काफ़िर नहीं, इसलिए की राखी बंधन पूजा नहीं उनका कॉमी त्योहार है,

काफ़िर के मज़हब की मुबारकबाद देना अशद़ हराम, और मुश्रीकाना फैल पर राज़ी और खुश हुआ या ताज़ीमन शामिल हो कर मुबारक बाद दी तो खुद भी काफ़िर ऐसे शख़्स पर तज्दीदे ईमान और अगर बीवी वाला था तो निकाह लाज़िम

والله تعالى اعلم بالصواب والله يرجع اليه مآب

सुवाल 17

हज़रत आज कल कुछ लड़कियाँ चूड़ीदार पयज़ामा पहनती हैं, और लोग एतराज़ करते हैं, मना करते हैं, मगर लड़के भी तो (खास कर) सारे दूल्हे अपनी शादियों में शेरवानी के साथ चूड़ीदार पहनते हैं, तो औरत को मना

क्यूँ मर्द को जाइज़ क्यूँ, कुछ वज़ाहत फरमाये तो करम होगा, और क्या जीन्स मे नमाज़ जाइज़ है अल्लाह आपकी उमर मे बरकत दे, मज़ीद इल्म से नवाज़े,

जवाब: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

आपने बहत हिम्मत का काम किया की मुसलमान लड़कियों के लिए ये सुवाल पूछा ताकि उन्हे भी इब्रत हो.

किस लिबास मे नमाज़ होगी किस मे नही होगी, इसका एक आसान कायदा (नियम) ये है की, जो लिबास पहनना जाइज़ नही, उसमे नमाज़ जाइज़ नही, मसलन, चोरी का लिबास पहनना जाइज़ नही, चाहै कोई भी कपड़ा हो, तो उस चोरी के कपड़े मे नमाज़ जाइज़ नही, इसी तरह जब औरत को मर्दाना लिबास पहनना जाइज़ नही बल्कि हराम है, तो उसमे औरत की नमाज़ भी जाइज़ नही बल्कि मकरूह तहरीमी है, यानी इस तरह उस औरत ने ज़िंदगी मे जितनी भी नमाज़ पढ़ी वो सब फिर से दोहराना वाजिब है. और इस हराम काम (मर्दाना लिबास पहनने) पर अल्लाह की बरगाह मे सच्ची तोबा करना वाजिब है, अब अगर फिर भी कोई लड़की ये जानने के बाद भी जीन्स मे नमाज़ पढ़े और दलील ये दे की, अल्लाह क़बूल करेगा तो वो जाहिल है, कुरआन हदीस और अल्लाह रसूल के फरमान के खिलाफ काम कर के क़बूलियत ए नमाज़ की उम्मीद रखती है.

अल्लाह के सच्चे रसूल मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया और इस हदीस को अबु दावूद जिल्द:4 सफह:88 पर हज़रत अबु हुरैरा से रिवायत किया -

“हुज़ूर ने उन मर्दों पर लानत की जो औरत का लिबास पहनते हैं, और उन औरत पर लानत की जो मर्दाना लिबास पहनती हैं, और एक हदीस मे है:-

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

(जो शख्स जिस क़ौम से मुशाबिहत करे वो उन्ही मे से है,) और हदीस के मुताबिक ऐसी औरत जन्नत से महरूम है, जो मर्दाना लिबास, हैरकट, या जूते

पहने, (हर ऐसी औरत के लिए ये सोचने का मुक़ाम है की नमाज़ के बाद भी उसके लिए ज़न्नत नहीं)

मीरात शरह मिश्कात जिल्द:6 सफह:95

"काफ़िर हराम हलाल लिबास मे, इसी तरह मर्दाना ज़नाना लिबास मे फ़र्क़ नहीं करते, जैसे कपड़ा चाहते है पहन लेते है"

(इस तहरीर से भी मुसलमान लड़कियों के लिए लम्हा ए फ़िक़र है की, मुसलमान हो कर काफ़िर का तरीका इस्तेमाल करती है की हराम हलाल मे फ़र्क़ नहीं करती, जबकि शरीअत ने हराम हलाल मे वाज़ेह फ़र्क़ ब्यान कर दिया)

फतावा रज़विया जिल्द:23 सफह:102 पर है

"नाजाइज़ लिबास के साथ नमाज़ मकरूह तहरीमी होती है, उसका (नमाज़ का) ईयादा (लौटाना) वाजिब है"

हदीस मे ये भी फरमाया की - (जहन्नम मे जो औरते होंगी उनमे, वो भी होंगी जो पहन कर नंगी होंगी), इस "पहन कर नंगी" होने की एक शरह ये भी ब्यान की जाती है की "लिबास ऐसा चुस्त होगा की जिस्म की गोलाई वा रान और पिंडलियो की बनावट साँफ़ ज़ाहिर हो रही होगी, लेगिस एक क्रिस्म का ऐसा चुस्त लिबास है की जिसमे जिस्म की बनावट साफ़ ज़ाहिर होती है, और बाज़ लेगिस ऐसी भी होती है उसमे रंगत नज़र आती है, अगर लेगिस ऐसी है की उसमे चुस्त होने के साथ टांगों की रंगत नज़र आए तो फिर उसमे नमाज़ नहीं होगी, और अगर रंगत नहीं दिखाई देती तो इस सूरत मे नमाज़ हो जाएगी, मगर ऐसा लिबास पहन कर औरत का ग़ैर मर्द के सामने जाना मना होगा, और अगर घर मे रहती है या औरतो मे पहनने मे भी हर्ज़ नहीं, बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:480 पर है

“(चुस्त कपड़ा) जिससे बदन का रंग ना चमकता हो, मगर बदन से बिल्कुल ऐसा चिपका हो, की देखने से उज़्रव की हैयत (जिस्म की बनावट) मालूम होती है, ऐसे कपड़े से नमाज़ हो जाएगी, मगर उस हिस्से की तरफ दूसरो को निगाह करना जाइज़ नहीं”

अब चाहै जीन्स हो, शर्ट हो या टी-शर्ट या रंगत नज़र आने वाली लेगिस, औरत को ये लिबास पहना भी माना और इसमे नमाज़ भी नहीं
 دُرّے مُخْتَارِ مَے هَے کُراہۃ التّحریم و جب اعدتہا

यानी, हर वो नमाज़ जो कराहते तहमीरी के साथ अदा की गई हो उसका लौटाना वाजिब होता है

इस क़द्र चुस्त और तंग कपड़ा पहनना नाजाइज़ और गुनाह है जिससे जिस्म की बनावट नज़र आए इसी तरह ऐसा जिससे जिस्म की रंगत नज़र आए हाराम है, और आपसे जिसने ये कहा की चूड़ीदार औरत को गुनाह मर्द को जाइज़ ये बात भी ग़लत है, चूड़ीदार पयज़ामा मर्द को पहनना भी गुनाह है, फिर चाहै शेरवानी के साथ हो या दूलह पहने

आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी फतावा रज़वीय्या जिल्द: 22 पेज: 162 पर लिखते है,

“यूँही तंग पेयजमा भी ना चूड़ीदार हो ना (मर्द को) तख़नो से नीचे, ना चुस्त बदन से सिले, की ये वाज़ेह फुससाक़ है, और सित्र ए औरत का ऐसा चुस्त होना की आज़ा का पूरा अंदाज़ बनाए. ये भी एक तरह की बे-सित्रि है, चूड़ीदार पयज़ामा पहनने के बारे मे आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा फतावा रज़वीय्या जिल्द: 22 पेज: 172 पर लिखते है,

“चूड़ीदार पयज़ामा पहनना मना है की वाज़ेह फुससाक़ की है, शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस ए दहैलवी किताब अदब अल लिबास मे फरमाते हैं:

سراويل کہ در عجم متعارف است کہ اگر زیر شتالنگ باشد یا دوسہ چین واقع شود بدعت و گناہ است

(शलवार जो अजमि इलाक़ो मे मश'हूर वा मारूफ़ है अगर तख़नो से नीचे हो या दो तीन इंच (शिकन/चूरी/बाल) नीचे हो तो बिदअत और गुनाह है,)
والله تعالى اعلم وعلمه جل مجده اتم واحكم-

सुवाल 18

मेरा सवाल है की लेंडीस जो लेगिस या चूड़ीदार पहन कर नमाज़ पड़ती हैं क्या नमाज़ हो जाएगी या उन्हें नमाज़ दोहरानी होगी

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

लेगिस एक क्रिस्म का ऐसा चुस्त लिबास है की जिसमे जिस्म की बनावट साफ़ ज़ाहिर होती है, और बाज़ लेगिस ऐसी भी होती है उसमे रंगत नज़र आती है, अगर लेगिस ऐसी है की उसमे चुस्त होने के साथ टांगों की रंगत नज़र आए तो, फिर उसमे नमाज़ नहीं होगी, और अगर रंगत नहीं दिखाई देती तो इस सूरत मे नमाज़ हो जाएगी, मगर ऐसा लिबास पहन कर औरत का ग़ैर मर्द के सामने जाना मना होगा, और अगर घर मे रहती है या औरतो मे पहनने मे हर्ज़ नहीं, बहारे शरीअत जिल्द:1 सफ़ह:480 पर है

“(चुस्त कपड़ा) जिससे बदन का रंग ना चमकता हो, मगर बदन से बिल्कुल ऐसा चिपका हो, की देखने से उज़्रव की हैयत (जिस्म की बनावट) मालूम होती है, ऐसे कपड़े से नमाज़ हो जाएगी, मगर उस हिस्से की तरफ़ दूसरो को निगाह करना जाइज़ नहीं”

आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी फ़तावा रज़वीय्या जिल्द: 22 पेज: 162 पर लिखते है,

“यूँही तंग पेयजमा भी, ना चूड़ीदार हो ना (मर्द को) तख़नो से नीचे, ना चुस्त बदन से सिले, की ये वाज़ेह फुससाक्र है, और सित्र ए औरत का ऐसा चुस्त होना की आज़ा का पूरा अंदाज़ बनाए. ये भी एक तरह की बे-सित्रि है,

चूड़ीदार पयज़ामा पहनने के बारे में आलाहज़रत इमाम अहमद रज़ा

फतावा रज़वीय्या जिल्द: 22 पेज: 172 पर लिखते हैं,

“चूड़ीदार पयज़ामा पहनना मना है की वाज़ेह फुससाक़ की है, शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस ए दहैलवी किताब अदब अल लिबास में फरमाते हैं:

سراويل که در عجم متعارف است که اگر زیر شتالنگ باشد یا دوسه چین واقع شود بدعت و گناه است

(शलवार जो अजमि इलाक़ो में मश'हूर वा मारूफ़ है अगर तख़नो से नीचे हो या दो तीन इंच (शिकन/चूरी/बाल) नीचे हो तो बिदात और गुनाह है,)

والله اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلى الله تعالى عليه وسلم

सुवाल 19

क्या औरतों को तरावीह पढ़ना सही है ? अकेले या जमा'अत से ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

तरावीह सुन्नते मुअक़्क़दा है, और ये मर्द औरत दोनों के लिए है, इसका तारिक़ (तर्क करने वाला) गुनहगार. जैसा की बहारे शरीअत जिल्द:1 सफ़ह:688 पर है

“तरावीह मर्द औरत सबके लिए बिला इज़मा सुन्नते मुअक़्क़दा है इसका तर्क जाइज़ नहीं”

फतावा रज़विया जिल्द:7 सफ़ह:462 पर है

“अगर कोई शख्स मर्द या औरत बिला उज़र ए शरई (तरावीह) तर्क करे, मुब्तला ए कराहत वा असात हो”

अब रहा ये की जमाअते तरावीह क्या है? क्या तरावीह जमाअत से ही पढ़ना ज़रूरी है, तो तरावीह की जमाअत सुन्नत ए किफ़ायी है, अगर महल्ले से किसी ने जमाअत कायम ना की तो सब गुनहगार, और अगर कुछ लोगो ने

जमाअत से पढ़ ली और बाकी कुछ ने घर में पढ़ ली तो कुछ गुनाह नहीं, दूरें

मुख्तार जिल्द:1 सफह:98 पर है

والجماعة فيها سنة على الكفاية في الاصح فلو تركها اهل مسجد اثموا، لا لو ترك بعضهم

(इनमें असह (ज़्यादा सही) क़ौल के मुताबिक़ सुन्नते क़िफ़ाय़ा है, अगर तमाम अहले मस्जिद ने इसे तर्क किया, तो गुनहगार होंगे, और कुछ ने (तरावीह की जमाअत) तर्क की तो गुनहगार नहीं)

फतावा रज़विया जिल्द:7 सफह:462 पर है

“अगर अहले महल्ला अपनी अपनी मसजिद में, इक्रामत जमाअत करें, और उनमें बाज़ घरों में तरावीह तन्हा या जमाअत से पढ़ें तो हर्ज़ नहीं”

अब रहा ये की घर में कैसे जमाअत बने अगर कोई हाफ़िज़ ना हो तो? इसका जवाब ये है की तरावीह का 20 रकाअत पढ़ना ज़रूरी है, फिर चाहै आखरी पारे की छोटी छोटी आयतों से 20 रकाअत पूरी कर ली जाए तब भी गुनाह नहीं, वरना तो औरतों में कौन सी हाफ़िज़ा होती है ? तो वो कैसे पढ़ती हैं, ज़ाहिर है जो सूरत याद होती हैं उन्हीं से पढ़ती है, तो घर में ऐसा शख्स, जो क़ाबिले इमामत हो, तो जमाअत क़ायम की जा सकती है ठीक वैसे है, अगर शोहर इमामत के क़ाबिल है, तो बीवी उसके साथ जमाअत बना सकती है, और 20 रकाअत तरावीह पढ़ सकते हैं, और अगर बिल फ़र्ज़ किसी दिन की तरावीह रह जाए तो उसकी क़ज़ा नहीं, और ना आगे पढ़ना बंद करे, शैतान ने लोगों के दिलों में ये वस्वसा डाला हुआ है की अगर तरावीह एक दिन भी छूट जाए तो पहले उसकी क़ज़ा करनी पढ़ती है, और ये भी की तरावीह छूटे तो अब आगे नहीं पढ़ सकते, क्यूँ फिर छूट जाएँगी, ये दोनों बातें ग़लत हैं

फतावा रज़विया जिल्द:7 सफह:463 पर है

“तरावीह अगर नागा हो तो उनकी क़ज़ा नहीं”

अब रहा औरतो की जमाअत का मसअला तो औरत को जमाअत से नमाज़ पढ़ना गुनाह है, चाहै कोई भी नमाज़ हो, एक सूरत जाइज़ होने की ये हो सकती है की, अगर मर्द इमाम है और औरत उसकी मेहरम या बीवी है तो बा-जमाअत नमाज़ पढ़ सकते हैं, जैसा फतावा रज़विया जिल्द:6 सफह:492 पर है

पर इरशाद फरमाते हैं

“और अगर जमाअत मे जितनी औरतें उसकी मेहरम या बीवी या हद्दे शहवत तक ना पहुँची लड़कियों के सिवा (कोई) नही तो (जमाअत से नमाज़ पढ़ना) बिला कराहत जाइज़ है, और ना-मेहरम (शहवत को पहुँची हुई) हो तो मकरूह बहरहाल”

खुलासा ए कलाम ये है की

औरत को भी तरावीह पढ़ना ज़रूरी हैं ना पड़ेगी तो गुनहगार होगी, औरत को जमाअत से तरावीह जाइज़ नही, तन्हा पढ़े, मगर इमाम अगर उसका शोहर बने या कोई मेहरम (बाप, बेटा, भाई) तो औरत को उनके पीछे जमाअत से तरावीह बल्कि फ़र्ज़ नमाज़ भी अदा कर सकती है,

والله تعالى اعلم بالصواب والله يرجع اليه مآب

सुवाल 20

सलाम, ऑटोमॅटिक वॉशिंग मशीन मे पाक और नापाक कपड़े एक साथ धोना कैसा, जबकि वो मशीन तीन बार पानी लेकर धोती है एक बार धोकर फिर स्पिन करती है इसी तरह दो बार और रहनूमाई फरमाईएगा

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

अगर मशीन मे सारे कपड़े पाक है, कोई नापाक कपड़ा उसमे शामिल नही तो हर्ज़ नही कपड़े पाक हो जाएँगे, और अगर पाक नापाक मिक्स है तो, चाहिए ये की पहले नापाक कपड़ो को अलग करके साफ पानी से पाक करे यानी, जो

गंदगी की जगह है उसे साफ करके धोए, वरना नापाक और पाक मिक्स करके पानी में डालने से सारे कपड़े नापाक हो जाएँगे, और ऐसा करना गुनाह है, ख़वातीन के लिए ये मसअला बहौत गौर करने का है और घरों में अक्सर औरते इससे गफ़िल होती हैं, याद रखे की मशीन हो या बाल्टी अगर उसमें नापाक कपड़े डाल कर पानी भर दिया और उसी पानी में फिर पाक कपड़े भी मिला दिए तो ऐसा करने वाला/वाली गुनाहगार होगा/होगी की पाक चीज़ को बिला वजह नापाक करना हराम है,

आला हज़रत , इमाम ए इश्क़ ओ महबबत, शाह इमाम अहमद रज़ा हनफी क़ादरी बरेलवी फ़तावा रज़वीय्या जिल्द: 1 सफ़ह:792 पर फरमाते हैं,

“बिला ज़रूरत पाक शे को नापाक करना नाजाइज़ ओ गुनाह है,”

और फ़तावा रज़वीय्या जिल्द: 4 सफ़ह:585 पर फरमाते हैं,

“जिस्म या लिबास बिला ज़रूरत ए शरिय्या नापाक करना और ये हराम है” लिहाज़ा पूछी गई सूरत में मशीन या किसी भी चीज़ में पाक या नापाक कपड़े एक साथ भिगा देना गुनाह है, चाहिए ये की पहले नापाक कपड़ों को अलग करके साफ पानी से पाक करे, यानी जो गंदगी की जगह है उसे साफ करके धोए, वरना बाल्टी में सिर्फ़ नापाक कपड़े डाल कर नल खोल दे, या मशीन में सिर्फ़ नापाक कपड़े पहले डाले और उपर से मशीन में पानी भरे, और नीचे से पाइप खोल दिया जाए और पानी बहने दे, (फिर चाहै तो हाथ से भी माल ले) जब यक़ीन हो जाए की अब नापाकी छूट चकी होगी और नापाक पानी भी मशीन से निकल गया तो अब पाक कपड़े उस में डाल कर अपने रिवाज़ के मुताबिक़ धो सकते हैं.

अब रहा ये की अगर किसी ने दोनों तरह के कपड़े (पाक और नापाक) एक साथ मशीन में डाल दिए तो सब नापाक हो गये.? और मशीन के 3 पानी निकालने का एतबार नहीं मगर जब उन कपड़ों का अलग अलग टंकी में पानी

निकाला जाता है तो वो पाक हो जाते हैं, और टंकी में पानी निकालते वक़्त 3 बार धो कर निचोड़ना शर्त नहीं है, जैसा की, फ़कीह ए इस्लाम, काज़ी ए मिल्लत, मुफ़्ती ए उम्मत, नायब ए मालिक ए जन्नत, सद्र उस शरीया हज़रत अल्लामह मौलाना अल-हाज़, अल हाफ़िज़ अल- मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आज़मी

फतावा अमजदिया जिल्द:1 सफह:35 पर लिखते हैं,

“(3 बार धोने और निचोड़ने का) हुक्म उस वक़्त है जब थोड़े पानी में धोया हो, और अगर हाँज़ ए कबीर में धोया हो, या (नल, पाइप, लोटे वगैरा के ज़रिए) बहूत सा पानी उस पर बहाया, या बहते पानी में धोया तो निचोड़ने की शर्त नहीं”

खुलासा ए कलाम :- ये है की पाक नापाक कपड़े एक साथ मशीन में धोने वाली औरत गुनहगार है, उस पर अब तक ऐसा करने की वजह से तोबा करना ज़रूरी है, और आइन्दा ऐसा ना करना का खयाल रखे, और नापाक कपड़ों का पानी पहले निकाल ले और पाक कर ले फिर मिक्स करे, और अगर मिक्स कर दिए तो सब नापाक हो जाएँगे, और बाद में जब टंकी से एक एक कपड़े का सही से पानी निकाला जाएगा तो सब वन बाइ वन पाक होते रहेंगे,
 وَللّٰهُ تَعَالٰی اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَلِلّٰهِ يَرْجِعُ الْيُحْصَاءُ

सुवाल 21

कभी माँ बाप अपनी औलाद को कोसते हैं किसी की तो ज़बान बहोत बुरी होती है कुछ भी कह देते हैं तो क्या औलाद पे वो लानत बैठती है जब औलाद की ग़लती ना हो बस माँ का मिजाज़ ही गुस्सेल हो ? कभी भाई बहैन में तक़रार होती है गुस्से में बोलते हैं तू मर गई मेरे लिए, क्या रिस्ता ख़तम हो जाता है

بسم الله الرحمن الرحيم

औरत जिस वजुहात से जहन्नम मे जाएगी उसमे से एक कोसना और लानत करना भी होगा, मगर जो बद-दुआ दी गई अगर कुबूलियत की घड़ी हुई तो बद-दुआ असर लाएगी, और हदीस मे कोसने, बद-दुआ देने को मना किया गया, मगर अल्लाह (बिला वजह शरा) बद-दुआ को इतनी जल्दी कुबूल नही करता जैसे आम दुआ को.

हदीस मे है -

“अपनी जानो पर बद-दुआ ना करो और अपनी औलाद पर बद-दुआ ना करो, और अपने खादिमो पर बद-दुआ ना करो, कही कुबूलियत की घड़ी से मावाफ़ीक़ ना हो”

तिर्मिजि मे है हुज़ूर ने फरमाया -

إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ لَا يَقْبَلَ دَعَاءَ حَبِيبٍ عَلَى حَبِيبِهِ

(बेशक़ मैंने अल्लाह से सुवाल किया की, किसी प्यारे की प्यारे पर बद-दुआ कुबूल ना फरमाये)

तफ़सीर सिरात उल जीनान जिल्द:4 सफ़ह:291 पर है

“अगर अल्लाह लोगों की बद-दुआएँ जैसे के वो गुस्से के वक़्त, अपने लिए, अपने अहल ओ औलाद ओ मां के लिए, करते हैं, और कहते हैं हम हलाक़ हो जाएँ, खुदा हमे गारत करे, बर्बाद करे और ऐसी ही कलिमे, अपनी औलाद और रिश्तेदारो के लिए कह गुज़रते हैं, जिसे उर्दू मे कोसना कहते हैं, अगर वह दुआ ऐसी जल्द कुबूल कर ली जाती जैसे जल्दी वह, दुआ खैर कुबूल होने मे चाहते हैं, तो उन लोगो का खतिमा हो चुका होता, और वह कब के हलाक़ हो गये होते, लेकिन अल्लाह अपने करम से दुआ ए खैर कुबूल फरमाने मे जल्दी करता है, और दुआ ए बद के कुबूल मे नही,”

रहा लानत करना तो लानत करना काफ़िर पर भी जाइज़ नहीं, तो मुसलमान
(औलाद) पर कैसे जाइज़ हो जाएगी,
सही मुस्लिम मे है

“बहुत लानत करने वाले क्रियामत के दिन, गवाह वा शफ़ी ना होंगे,”
अबु दावूद मे है

“मुसलमान की लानत मिस्ल उसके क़तल के है”
सही बुखारी मे है

“मैने औरतो को दोज़ख़ मे बा-कसरत देखा, फरमाया किस वजह से कहा- तुम
लानत बहुत करती हो”

फ़ाज़ईले दुआ सफ़ह: 188 पर है

“किसी मुसलमान पर लानत ना करे... यूँही मच्छर, जानवर पर भी लानत
माना है”

लिहाज़ा इन दलायल से ये बात साबित होती है की, किसी भी मुसलमान पर
लानत करना मना है चाहै वो गुनाहै कबीरा करता हो की ईमान उसके साथ
है, और कबीरा से ईमान नहीं जाता, इससे उन औरतो को इब्रत लेनी चाहिए
जो ग़ैर तो ग़ैर, बात बात पर अपनी औलाद और शोहर और घर वालो को
लानत करती हैं, इसी वजह से जहन्नम मे ज़्यादा हैं,
फकत कह देने से रिश्ता ख़तम नहीं होता

والله تعالى اعلم بالصواب والله يرجع اليه مآب

सुवाल 22

औरत को हैज़ की मुद्दत से ज़्यादा खून आता हो वो इस वजेह से नमाज़ अदा
नहीं करती और खून बंद होने के बावजूद वाइट डिसचार्ज होता हो और यह
नहीं तो उसको पेशाब के क़तरे निकलने का भी मसअला है और सजदे की
हालत मे रीह निकलने का अंदेशा, इन सब वजूहात की वजेह से वो कभी

नमाज़ नहीं पढ़ पाती ऐसे में उस औरत पर शरीअत का क्या हुक्म है ? बरा ए करम जवाब तफ़सील और दलील से समझाए ताके उस औरत को नमाज़ की अहमियत और शरई मअज़ूर की इस्लाम में क्या रियायत है समझ में आ जाए जज़ाकल्लाह हो खैरा

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

हैज़ की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है, अगर इससे ज़्यादा खून आए तो हैज़ नहीं बीमारी है, देखें, **बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह: 372 पर है,** “हैज़ की मुद्दत कम से कम 3 दिन (72 घंटे) और इससे एक भी मिनट कम हो तो हैज़ नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है”

इसी तरह औरत के अगले मुक्राम से निकलने वाली सफेद रतूबत, जिसमें खून नहीं होता, वो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं करती ना वज़ु को तोड़ती इसी तरह **बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:304 लिखा है**

“औरत के आगे से जो खाली रतूबत बे-अमेज़िश खून (बग़ैर खून मिले) निकले, वज़ु तोड़ने वाली नहीं, अगर कपड़े पर लग जाए तो कपड़ा (भी) पाक है,” रहा क़तरा आना तो अगर क़तरा लगातार आता है यानी कोई वक़्त नमाज़ का ऐसा नहीं गुज़रता की वज़ु रह सके, ये शरई उजर है, एक वज़ु से जितनी नमाज़ पढ़ेगी हो जाएगी, और वक़्त ख़तम होने से वज़ु टूट जाएगा, और ऐसी सूरत में औरत को चाहिए की आगे के मुक्राम में कोई कपड़ा या (Pad) इस्तेमाल करे, और नमाज़ से पहले वज़ु करके उसे निकल दे, और बाद नमाज़ फिर लगा ले, ताकि हर बार क़तरे से शलवार खराब ना हो, और इस मर्ज़ का इलाज भी कराए, और अगर रीह का मसअला ऐसा है की क्रियाम में रीह नहीं आती मगर सजदा करेगी तो रीह यक़ीनन खारिज होगी और सजदा ना करे तो रीह खारिज नहीं होगी तो बैठ कर नमाज़ पढ़ने का इख़्तियार है और

सजदा इशारे से करे, क्यूंकी जो सजदे पर क़ादिर नही तो क्रियाम भी उस पर से मुआफ़ है, यानी अब वो बैठ कर भी पढ़े तो नमाज़ होगी देखे

बहारे शरीअत जिल्द:1 सफ़ह:510

“अगर क्रियाम पर क़ादिर है मगर सजदा नही कर सकता, तो बेहतर ये है की बैठ कर इशारे से पढ़े, और खड़े हो कर भी पढ़ सकता है,”

“जिस शख्स को खड़े होने से क़तरा आता है, या ज़ख़्म बहता है, और बैठने से नही आता तो उसे फ़र्ज़ है की बैठ कर पढ़े,

लिहाज़ा अगर सजदा करने मे क़तरा आता है, या रीह निकलती है, तो बैठ कर नमाज़ पढ़ी जाएगी इस सूरत मे नमाज़ मुआफ़ ना होगी,
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

सुवाल 23

हमारा सुवाल है, क्या हैज़ वाली औरत मस्जिद जा सकती है,

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

नही जा सकती, क्यूंकी नापाकी की हालात मे मस्जिद मे जाना मर्द और औरत दोनो को हराम है.

बहारे शरीअत मे मस्जिद के आदाब बयान करते हुए फरमाते है... हैज़ वा निफास वाली औरत को मस्जिद की छत पर (भी) जाना हराम है क्यूंकी वो भी मस्जिद ही के हुक्म मे है

(बहारे शरीअत जिल्द: 1, पेज: 645)

जिस के बदन पर नजासत (गंदगी) लगी हो उसे मस्जिद मे जाना मन'आ है
(दुर्रे मुख्तार जिल्द: 2 पेज: 517)

बच्चा और पागल जिनसे गंदगी का ख़तरा हो, मस्जिद लाना हराम है

(बहारे शरीअत जिल्द: 1, पेज: 645)

والله اعلم بالصواب

सुवाल 24

हमे ये इरशाद फरमाये, की क्या मंगनी हो जाने के बाद, लड़की, अपने होने वाले शोहर से कॉल पे बात कर सकती है, एक इमाम साहिब कहते, बिल्कुल नहीं कर सकती, गुनाह है हराम है क्या सच मे गुनाह है,

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

इमाम साहिब ने सही फरमाया, मगर तहकीक़ यही है की, इसमे एक ही सूरत ही मुबाह की हो सकती है, की अगर शोहर आलिमे दीन या क़ाज़ीए इस्लाम या मुफ़्ती ए इस्लाम है, और उनके पास और भी औरतें फ़ोन वग़ेरा करती हैं और फ़ोन पर कोई मसअला पता करती है तो फिर इसका क्या जुर्म, (जबकि वहा कोई अलिमा ना हो)

बस इतनी इजाज़त है, बतौर साइल दीन का मसअला हो जैसे की आजकल, प्रोग्राम मे भी मुफ़्ती साहब को औरते कॉल करती है और मसअला पता करती है जबकि वो भी ग़ैर होती है इसी तरह, ये भी बस दीन की रहनूमाई, ले सकती है इसके अलावा कुछ नहीं,

(और ये भी हुक्म बस उलमा, मुफ़्ती वग़ेरा के लिए है, आम लोगो को तो इसकी भी इजाज़त नहीं,) क्यूंकी सबके होने वाले शोहर आलिम हो ज़रूरी नहीं. इसलिए इमाम साहिब ने सही कहा,

والله أعلم

सुवाल 25

बाज़ लोग तिलावते कुरआन करते हैं खास कर रमज़ान में बिना ही आवाज़ के और इसी तरह कुरआनख़्वानी में, बच्चे यानी चुपचाप उंगली चलाते रहते हैं और यही हाल घरों में औरतों का होता है, तो इस तरह कुरआन बे-आवाज़ पढ़ा हुआ है या नहीं, इसे इसाले- सवाब कर सकते हैं या नहीं,

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

बग़ैर आवाज़ दिल में कुरआन को पढ़ने या सिर्फ़ देखने से पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ़ देखने का मिलेगा, और उसे छूने का (अगर उंगली रख के पढ़ा) والله ورسوله اعلم ، عزوجل صلى الله تعالى عليه وسلم

सुवाल 26

अगर किसी ख़ातून के शौहर का इंतेक़ाल हो गया हो और उसके बच्चे इस्लाम से बालिग हों मगर दुनियावी तौर पर नहीं और वो पढ़ रहै हों और उस ख़ातून का कोई ज़रिया ना हो पैसे का तो उसपे फिक्स डेपॉज़िट और बैंक का इंटेरेस्ट लेना हराम होगा या जाइज़ ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

जाइज़ होगा, और ये खास इस औरत के लिए ही नहीं बल्कि. हिंद के बैंक से जो एक्सट्रा रक़म मिलती है वो जाइज़ है. वो सूद नहीं है. (जबकि बैंक कुफ़्फ़ार का हो)

وهو تعالى أعلم بالصواب

सुवाल 27

गीबत करने से कैसे बचा जा सकता है और गीबत करने वालों का अज़ाब क्या है ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

गीबत करना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है, और गीबत सुनने वाला भी करने वाले की तरह गुनहगार होता है,

गीबत और इसकी मज़म्मत पर बहैस तवील है मगर यहाँ मुख्तसर ब्यान किया जाता है, अल्लाह ता'आला कुबूल करे और हमे इस मोहलिकाते खबीसा से बचने की तोफिक दे,

कुरआन पाक सुराह हुजूरत आयत 12 मे अल्लाह का इरशाद ए पाक है,
 “और एक दूसरे की गीबत ना करो क्या तुम मे कोई पसंद रखेगा की अपने मरे भाई का गोश्त खाए, तो ये तुम्हे गवारा ना होगा,”
 गीबत इज़्ज़त को ख़तम कर देती है इसीलये इसे माल और खून के साथ ज़िक्र किया गया

मुस्लिम शरीफ की हदीस मे है,

एक दूसरे से हसद ना करो, बुगज़ वा अदावत ना रखो, नफ़रत दिलाने वाले काम ना करो, ना आपस मे बेरूख़ी इख़्तियार करते हुए क़त'आ ताल्लुक़ करो, ना एक दूसरे की गीबत करो और ए अल्लाह के बन्दो भाई भाई बन जाओ, और फरमाते है मदीने के ताजदार,
 गीबत से बचो बेशक गीबत ज़िना से भी सख़्त-तर है

“मैं शबे मेराज ऐसे लोगो के पास से गुज़रा जो अपने चेहरो को अपने नाखूनों से नोच रहै थे, ये लोग गीबत करते और उनकी आबरुरेज़ी करते थे,”

अल्लाह ता'आला ने हज़रत ए मूसा (अलैहिस्सलाम) की जानिब वही फरमाई, जो गीबत से तौबा करके मरा वो आखरी शख्स होगा जो जन्नत मे जाएगा और जो गीबत पर कायम रहते हुए मरा वो पहला शख्स होगा जो जहन्नम मे दाखिल होगा,

और ये भी याद रखना चाहिए गीबत, फ़क़त जुबान ही से नही बल्कि आँख से, हाथ से, इशारो से लिख कर फोन पर, sms पर भी हो सकती है, गीबत सुनने से किस तरह बचे इसकी रहनूमाई करते हुए मेरे अक्का हुज्जत_उल इस्लाम इमाम ग़ज़ाली अपनी मक़बूले दो जहाँ तस्लीफ़

इहिया उल उलूम जिल्द: 3 सफह: 443 पर फरमाते है:

अगर वहाँ से उठ कर जा सकता है या गुफ्तगू का रुख बदल सकता है तो ऐसा ही करे वरना गुनहगार होगा.

والله سبحانه وتعالى اعلم

सुवाल 28

हज़रत कुरआन शरीफ आवाज़ से पढ़ना ज़रूरी है या हम बिना आवाज़ के भी तिलावत कर सकते हैं,

जवाब:1830 بسم الله الرحمن الرحيم

कुरआन आवाज़ से पढ़ा जाएगा, कम से कम इतनी आवाज़ तो हो की खुद के कान सुन लें, अगर दिल दिल मे पढ़ा, और मुँह बंद है, जैसा की अक्सर औरते पढ़ती है तो वो पढ़ा हुआ नहीं माना जाएगा, हाँ, कुरआन देखने और छूने का सवाब ही मिलेगा, वो भी अगर उंगली रख कर पढ़ा, अगर बस देखा और उंगली भी ना रखी तो बस देखने का सवाब, और अगर इसी तरह नमाज़ मे भी किसी की आदत है की क़िराअत इतनी आहिस्ता करता है की खुद भी नहीं सुन पाता बस नियत बाँधी और दिल दिल मे नमाज़ पूरी पढ़ ली तो इस तरह नमाज़ भी नहीं होती, जैसा की बहारे शरीअत जिल्द: 01 सफह: 544 पर है “क़िराअत मे इतनी आवाज़ दरकार है की अगर कोई शोर, गुल ना हो तो खुद सुन सके, अगर इतनी आवाज़ भी ना हो तो नमाज़ ना होगी,”

والله تعالى أعلم بالصواب

सुवाल 29

नमाज़ पढ़ते वक़्त आवाज़ कितनी तेज़ होनी चाहिए ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

कम से कम इतनी आवाज़ तो हो की खुद के कान सुन लें, और दिल दिल मे नमाज़ पूरी पढ़ ली तो इस तरह नमाज़ भी नहीं होती

बहारे शरीअत जिल्द: 01 सफह: 544

और बाज़ लोग जो तन्हा नमाज़ पढ़ते वक़्त सिर्फ़ होन्ट हिलाते हैं या दिल दिल में पढ़ते हैं, ये पढ़ना नहीं और इस तरह नमाज़ नहीं होती.

والله أعلم بالصواب

सुवाल 30

क्या पिलास्टिक के कंगन या कुछ भी पहनने से नमाज़ हो जाती है

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

प्लास्टिक के कंगन चूड़ी वगैरा पहन कर नमाज़ हो जाएगी

وهو تعالى أعلم بالصواب

सुवाल 31

बहुत लोगों को कहते सुना है की जिस लड़की के हाथ में चूड़ीयां या कड़े नहीं होते उन के हाथ का पानी हाराम है

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

औरत का बग़ैर ज़ेवर रहना मकरूह है, मगर ऐसी औरत के हाथ का पानी पीना गुनाह नहीं, की गुनाह को साबित करने के लिए कम से कम तरके सुन्नत ए मौअक्कदा की आदत या वाजिबात का -2-3 बार तर्क करना, या फ़र्ज़ का 1 बार तर्क ज़रूरी है, या फिर हाराम का एक बार करना या मकरूह ए तहरीमी की आदत बनाना. वगैरा का पाया जाना चाहिए और चूड़ी ना होने से इनमे से कुछ भी साबित नहीं हो रहा लिहाज़ा न बग़ैर चूड़ी रहना गुनाह है, न उसके हाथ का पानी पीना गुनाह

والله تعالى اعلم

सुवाल 32

अगर कोई औरत को बच्चा पैदा हो तो क्या 40 दिन तक जब तक वो निफास से होती है इस दरमियान अपने शौहर के साथ हम बिस्तर हो सकती है या

ऐसा करने पर दोनों मिया बीवी किसी गुनाह के हकदार होंगे .

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

लोगो मे ये ग़लत फहमी है की निफास हर हाल मे 40 दिन तक रहता है, जबकि ये ग़लत है, निफास की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन होती है, मगर इसका ये मतलब नही की सारी औरत 40 दिन मे ही पाक हो, बल्कि अगर खून 10 दिन बाद रुक गया तो निफास ख़तम हो जाता है, और 11वे दिन औरत पर सारे अहकाम की पे़रवी ज़रूरी है, मसलन नमाज़, रोज़ा वगेरा, अगर किसी को 40 दिन ही खून आए तो निफास है, इससे ज़्यादा आए तो बीमारी तो जो दिन निफास के है, उन दिनों मे शोहर के साथ हमबिस्तरी करना हुराम है, और अगर हलाल जाने तो कुफ़्र है, बलके नाफ़ से गुटनो तक बा-शहवत छूना भी गुनाह है इसी तरह अगर बीवी के साथ सोने मे शहवत पर क़ाबू ना कर सकेगा (और वती कर लेगा) तो उसके साथ सोना भी हुराम और गुनाह बल्के अपना बिस्तर अलग रखे, और अगर जिमा ना करेगा तो साथ सो सकता है, बोसा वगेरा लेना जाइज़ है,

बहारे शरीअत जिल्द1 सफह:382 पर है

“हमबिस्तरी इस हालत (हैज़ और निफास) मे हुराम है, ऐसी हालत मे हमबिस्तरी जाइज़ जानना कुफ़्र है, नाफ़ से गुटनो तक औरत के बदन को मर्द अपने किसी हिस्से से छूना जाइज़ नही, (जबकि कपड़ा ना हो) (हाँ, अगर कपड़े के उपर से छुआ की गर्मी महसूस ना हुई तो जाइज़) नाफ़ से उपर और घुटनो से नीचे छूने या किसी तरह का त़फ़ा लेने मे कोई हर्ज़ नही” (यानी नाफ़ से उपर सर तक पूरे जिसम पर बोसा ले सकता है, और हाथ भी जिस्म पर लगा सकता है, इसी तरह घुटनो से नीचे),
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

सुवाल 33

क्या हैज़ वाली औरत नियाज़ का खाना पका सकती है, लोग कहते हैं नापाक औरत नियाज़ के लिए खाना नहीं पका सकती और क्या हदीस, पंजसुराह या कोई दीनी किताब उठा या पढ़ सकती है, अगर वो हिन्दी में हो या अरबी में जवाब इनायत फरमाएँ

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

ऐसी औरत खाना पका सकती है फिर चाहे खाने के लिए हो या नियाज़ के लिए, अगर खाना नापाक हो जाएगा तो नियाज़ तो दूर खाया भी नहीं जा सकता, ये महैज़ शरीअत से बेख़बरी है, और ऐसी (हैज़ वाली) औरत अपने वज़ीफ़े भी इसी हाल में पढ़ सकती है, मगर कुरआन की नियत से कोई कुरआन की आयत पढ़ भी नहीं सकती मगर दुआ की नियत से पढ़ सकती है जैसे, खाते वक़्त बिस्मिल्लाह वगैरा वैसे बिस्मिल्लाह भी कुरआन है मगर, इसे दुआ के तौर पर पढ़ा जा सकता है इसी तरह शजरा के वज़ीफ़े भी पढ़े जा सकते हैं, मगर कुरआन का छूना और कुरआन की नियत से कुरआन या कोई सूरत, आयत पढ़ना हराम है जैसे की **बहारे शरीअत जिल्द1 सफ़ह:326 से है** “जिस को नहाने की ज़रूरत हो (नापाक) उसको मस्जिद में जाना, तवाफ़ करना, कुरआन को छूना, या बे छुए देख कर जुबानी पढ़ना, या किसी आयत का लिखना, या आयत का तावीज़ लिखना, या ऐसे तावीज़ छूना हराम है”, इसके सिवाय हदीस या दीनी मसअलों की किताब पढ़ सकते हैं, हराम नहीं ना गुनाह, मगर मकरूह है, और उस किताब में आयते कुरानी का वही हुक्म होगा जो ब्यान हुआ यानी उनका छूना हराम होगा, जैसा की:

बहारे शरीअत जिल्द1 सफ़ह:327 पर है:

इन सब (नापाक, बेवजु) को फिक्र, तफ़सीर और हदीस की किताबों का छूना मकरूह है, और अगर उनको कपड़े से छुआ तो हर्ज नहीं। इसी तरह इनको अज़ान का जवाब देना जाइज़ है।

والله سبحانه وتعالى اعلم

सुवाल 34

हज़रत औरत अपने सिर के बाल कटा सकती है या ऐसा करना गुनाह है ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

औरत को मर्दाना बाल करवाना हराम है और हदीस में ऐसी औरतों पर लानत की गई, और इस तरह कटवाना भी मना की जिसमें आगे कुछ बाल माथे पर गिरे रहते हैं जिन्हें आम जुबान में “लट” कहते हैं और वो ग़ैर मर्द की नज़र में आते हैं, इसके सिवा अगर बालों की नोक कटवाई जाए जिससे बालों का लंबा होना रुक जाता है या दो मुँह बाल हो जाते हैं फिर आगे नहीं बढ़ते तो ऐसे सूरत में नोक कटवा कर दो मुँह बाल कटवाए जा सकते हैं, मगर खुद काटे या किसी औरत से कटवाए और ये भी याद रखना चाहिए की, वो कटे हुए बाल पर भी ग़ैर मर्द की नज़र पड़ना गुनाह है, अगर बाल ऐसी जगह डाले जहाँ ग़ैर मर्द की नज़र पड़े तो औरत गुनहगार होगी, लिहाज़ा इस बात का भी अहतियात रखा जाए, और ये एहतियात कंघी करते वक़्त भी रखी जाए जैसा की

बहारे शरीअत जिल्द: 3 हिस्सा 16 सफ़ा: 91-92 पर है

जिस उज़व (पार्ट) की तरफ नज़र करना नाजाइज़ है, अगर वो बदन से जुदा भी हो जाए तो अब भी उसकी तरफ नज़र करना नाजाइज़ रहेगा।

والله تعالى اعلم بالصواب والله يرجع اليه مآب

सुवाल 35

हज़रत औरतो का मेक्प करना कैसा है, लिपस्टिक वगैरह वो इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं

جواب: بسم الله الرحمن الرحيم

अपने शोहर के लिए जाइज़ है, और ग़ैर के लिए हराम, ग़ैर शादी शुदा लड़की को भी जाइज़ है, लिपस्टिक में अगर कोई नाजाइज़ केमिकल है तो नाजाइज़ वरना जाइज़, मगर उसकी इतनी मोटी परत लगाना की वजु का पानी होन्ट तक ना पहुँचे तो वजु नहीं होगा वरना हो जाएगा, लिपस्टिक में हमारी राय तो होती है की इससे परहैज़ ही करना चाहिए, क्यूंकी इस ज़ीनत का ग़ैर मर्द पर इज़हार ज़रूर हो जाता है, मसलन, घर में देवर जेठ से, और ये नहीं तो घर आए मेहमान से, हाँ अगर घर में सिवाए शोहर या औलाद या औरतो के कोई नहीं तो हर्ज नहीं,
والله تعالى اعلم

सुवाल 36

हज़रत कुछ औरतों को देखा है जो हिंदूवाना तोर तरीक़ो पे चलती हैं जैसे साड़ी पहनती हैं बिंदिया लगाती हैं नेल्पोलिश लगाती हैं ये सब करने वाली सही या नहीं

جواب: بسم الله الرحمن الرحيم

साड़ी पहनना जाइज़ है, जबकि ग़ैर मर्द की नज़र में ना आना पड़े मसलन घर पर शोहर और छोटे बच्चे या मुसलमान औरते हो तो, वरना सित्र का खोलना हराम होगा,

बिंदिया लगाना उर्फ़ पर मबनी है, अगर वहाँ की औरते लगाती हो और दूसरी औरते उसे देख कर कानाफुसी ना करे तो हर्ज नहीं, मगर साड़ी के साथ बिंदिया लगाना और सख़्त है, और बिंदिया लगे हुए वजु नहीं होगा, और अगर बिंदिया भी घर में लगाए और वजु में हटा ले तो फिर हर्ज नहीं.

नैल्पोलिश के मुताल्लिक एक सुवाल के जवाब मे
मुफ़्ती ए आज़म हॉलेंड मुफ़्ती अब्दुल वाजिद क़ादरी

फतावा यूरूप सफ़ह: 107 पर लिखते है

“लिपस्टिक और नाखून पोलिश जिसमे हराम और नापाक चीज़ की मिलावट हो, उनका इस्तेमाल मुसलमान औरतो के लिए हराम है, और इसके लगे रहने की सूरत मे ना वज़ु सही ना गुस्ल और ना नमाज़, हाँ अगर इसके साथ फ़ॉर्मूला भी मौजूद हो जिससे ज़न ग़ालिब हो की इसमे कोई हराम चीज़ की मिलावट नही तो इसका इस्तेमाल औरतो के लिए जाइज़ है, वह सामाने ज़ीनत है और औरतो को ज़ीनत रवा(जाइज़) है,”

हाँ, अगर लिपस्टिक और नाखून पोलिश की परत वज़ु मे होन्ट और नाखून पर पानी बहने से रोकती है तो वज़ु गुस्ल मे इसे साफ करना होगा, वरना ये तहारत मे रुकावट है

والله تعالى اعلم

सुवाल 37

बीवी अगर हैज़ (पीरियड्स) से है तो उस से दूर रहना चाहिए. पीरियड्स का मॅक्सिम टाइम 7 दिन होता है लेकिन अलग अलग औरतों के लिए अलग अलग होता है तो क्या पूरे 7 दिन दूर रहना चाहिए या 3 या 4 दिन मे अगर पाक हो जाती है तो हम बिस्तरी की जा सकती है?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

औरत जब पाक हो जाए तो शोहर उससे हक़ ए ज़ौजियत अदा कर सकता है, और अलग अलग औरतो का आदत के मुताबिक अलग अलग वक़्त होता है, कोई 4 दिन पाक तो कोई 8 दिन मे,

आपने सुवाल मे पीरियड्स का टाइम 7 दिन ब्यान किया ? ये आपने कहा पढ़ा या सुना ??

बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह: 372 पर है,

“हैज़ की मुद्त कम से कम 3 दिन (72 घंटे) और इससे एक भी मिनट कम हो तो हैज़ नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा “10” दिन है”

والله سبحانه وتعالى اعلم

सुवाल 38

औरत अगर हैज़ या निफास से पाक हो जाए फिर उसे वज़ू या गुसल करने के लिए पानी मुयस्सर ना हो तो क्या वो नमाज़ पढ़ सकती है, जवाब इनायत फरमाएँ मेहरबानी होगी एम. अकमल अता क़ादरी, कश्मीर

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

अगर तयम्मूम की शराइत पाई जाए तो, पानी ना होने पर हैज़ वाली औरत नमाज़ के लिए तयम्मूम करे,

बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:352 पर है

“औरत हैज़ निफास से पाक हुई और पानी पर क़ादिर नहीं तो तयम्मूम करे,”

والله تعالى اعلم

सुवाल 39

हज़रत क्या हमिला (प्रेग्नंट) औरत का तलाक़ हो जाएगा ? प्लीज़ ज़रा

तफ़सील से बताएँ ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

इस सुवाल मे तफ़सील की कहा ज़रूरत है, बस जवाब ही चाहिए होता है, और वह यह है की तलाक़ हो जाएगा,

फतावा फ़ैज़रूसूल जिल्द:2 सफह:111 पर है

“हालते हमल और गुस्से मे तलाक़ हो जाएगी”

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

सुवाल 40

क्या फरमाते हैं उलमा ए अहले सुन्नत इस बारे में की जो कपड़ा पहनना हाराम है (मसलन मर्द को रेशम वाला, औरत को मर्दाना.. वगैरा वगैरा,) उसे पहन कर नमाज़ पढ़ने से नमाज़ हो जाती है या नहीं, ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

ऐसी नमाज़ मकरूह तहरीमी होगी, इस तरह नमाज़ पढ़ने से गुनाह भी होगा और तोबा करना भी वाजिब और नमाज़ का फिर से पढ़ना वाजिब है जैसा की, फतावा रज़विया जिल्द:23 सफह:102 पर है

“नाजाइज़ लिबास के साथ नमाज़ मकरूह तहरीमी होती है, उसका (नमाज़ का) ईयादा (लौटाना) वाजिब है”

كل صلوة اديت مع كراهة التحريم وجب اعاتها دुरي مۇختار में है

यानी, हर वो नमाज़ जो कराहते तहरीमी के साथ अदा की गई हो उसका लौटाना वाजिब होता है

وهو تعالى أعلم بالصواب

सुवाल 41

अगर कोई शख्स किसी ग़ैर मेहरम लड़की को अपनी बहन बनाता है तो क्या ये शरीअत में जाइज़ है क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं के खून से भी ज़्यादा करीबी बन जाते हैं तो बहन बना ने के बाद उससे बात कर सकता है या नहीं

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

अगर इसके जवाज़ पर (यानी जाइज़ होने पर) फतवा जारी कर दिया जाए तो एक अज़ीम फित्ने का दरवाज़ा खोलना है, फिर तो हर लड़का जिस लड़की से शादी करना चाहता है तो उसकी छोटी बहन या उसके घर में रहने वाली किसी भी लड़की को अपनी मुँह बोली बहन बना लेगा और आना जाना शुरू और मक़सद भी हल फिर अक्सर देखा भी यही जाता है, की जिसे कही शादी

करनी हो तो पहले उस घर में किसी काम के बहाने आने जाने की रास्ता खोलता है, उस घर के बच्चों को चीज़ दिला कर, वगेरा वगेरा, में ये नहीं कहता की साइल का मक़सद ग़लत हो, शरीअत ने जिसे बहन करार दिया और उससे निकाह ह़राम किया वही शरई एतबार से बहैन है, इसके सिवा तो सारे मुसलमान (हज़रत आदम की औलाद होने की बिना पर) बहन भाई ही है, फिर अलग से रिश्ता कायम करने की हाज़त ही क्या, ग़ैर मेहरम से बहन बना कर रिश्ता रखना, मिलने या बिला वजह शरई बात करने की इजाज़त नहीं, और जो दिल से बहन माने या मुँह से ये आपके अपने मुँह का कहना है, अल्लाह ने जिससे आपस में पर्दा फ़र्ज़ किया है, उससे पर्दा है, वरना अपने चाचा की लड़किया भी तो चाचाज़ाद बहन है, फिर शरीअत में जब इनसे पर्दा करार दिया तो बाहर की बनाई रेडी-मेट बहन से कैसे मिलने बोलने की इजाज़त होगी.. इस तरह अपने मुँह से रिश्ता बदल कर, रिश्ता बना लेने वालों के बारे में अल्लाह का फ़रमान है

सुरे: अहज़ाब आयात 4-5

“ये तुम्हारे अपने मुँह का कहना है, और अल्लाह हक़ फ़रमाता है,”
والله تعالى اعلم

सवाल 42

क्या मियाँ बीवी एक दूसरे के जिस्म के हर एक हिस्से को चूम (किस) कर सकते हैं, कहते हैं दूध हलक़ में जाने से निकाह टूट जाता है

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

सिवाए शरमगाह के, शोहर बीवी, एक दूसरे के जिस्म के हर एक हिस्से को चूम, चाट सकते हैं, एक दूसरे के जिस्म से जैसे दिल चाहै, लुतफ़ंदोज़ हो सकते हैं, जैसा की फ़तावा रज़विया जिल्द:12 सफ़ह:267 पर है

“मर्द के लिए जाइज़ है की अपनी बीवी के सर से लेकर पावं तक जैसे चाहै लुतफ़ंदोज़ हो सिवाए उसके जिससे अल्लाह ने मना फरमाया है,”
(यानी पिछले हिस्से में सोहबत करना) और आगे फरमाते हैं की
“रहा पिसतान को मुँह में दबाना (या चूमना) तो इसका हुक्म भी ऐसे ही है, की जब बीवी दूध वाली ना हो. (तो चूम और मुँह से भी दबा सकते हैं) और अगर दूध वाली है तो मर्द इस बात का लिहाज़ रखे की दूध का कोई क़तरा उसके हल्क़ में दाखिल ना होने पाए, तो भी (पिसतान के दबाने और चूमने चूसने में) हर्ज़ नहीं”

कुरआन परा:22, सुरे::आहज़ब, आयात:53 में है

“और अल्लाह हक़ फरमाने में नहीं शरमाता”

والله تعالى اعلم بالصواب والله يرجع اليه مآب

सुवाल 43

हज़रत, सरकार के ज़माने में औरत मर्द साथ नमाज़ पढ़ते थे? अब क्यूँ नहीं ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

सरकार के वक़्त में जाया करती थीं, मगर बाद में फ़ित्ने के ख़ौफ़ से दौरे फ़ारूक़ी में मना कर दिया, और हज़रत आएशा ने फरमाया.

لوان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو اسرائيل نسائهن رواه احمد وبخارى ومسلم

(हुज़ूर हमारे ज़माने की औरतों को मुलाहज़ा फरमाते तो उन्हें मस्जिद जाने से मना करते, जैसे बनी इसराइल ने अपनी औरतों को मना कर दिया था,)

फ़ताहुल क़दीर में है

عمم المتأخرون المنع العجائز والشواب في الصلوات كلها لغلبة الفساد في سائر الاوقات

(फ़साद के ग़लबे की वजह से, तमाम वक़्तों की नमाज़ों में, उमूमन बूढ़ी और जवान औरतों का निकलना मुतखरीन उलमा ने मना फरमाया है)

फतावा रज़विया जिल्द:14 सफह:551 पर है

“जब और फ़साद फैला तो उलमा ने जवान वा ग़ैर जवान (बूढ़ी) किसी के लिए (हाज़री ए मस्जिद की) इजाज़त ना रखी”

औरत को जमाअत से नमाज़ पढ़ना मकरूह है, चाहै दिन की नमाज़ हो या रात की, फ़र्ज़ हो या तरावीह

इसी तरह बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:584 पर है

“औरतो को किसी नमाज़ में जमाअत की हाज़री जाइज़ नहीं, दिन की नमाज़ हो या रात की, जुमुआ हो या ईदेन, ख्वा जवान हो या बूढ़ी,

बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:466 पर है

“(औरत की जमाअत) खुद मकरूह है”

फतावा फ़ैज़रुरसूल जिल्द: 1, सफह:425 पर है

“औरतो को ईदगाह की हाज़री जाइज़ नहीं.”

अब इस बात से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो की जब सहाबा के वक़्त में फ़साद का ख़ौफ़ हुआ और उन्होंने मस्जिद की हाज़री औरत के लिए मना कर दी, तो आज का वक़्त कैसा है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ग़ौर करे की अगर मस्जिद में औरते लड़किया नमाज़ को जाएंगी तो हाल क्या होगा, मर्दों का जमघट मस्जिद के बाहर होगा, इमाम से जवान लड़के ज़्यादा मेल जोल रखने लगेंगे, दिन भर मस्जिद में रहेंगे, बाकी आप खुद समझदार हो, ये दौर दौरे रसूल से बेहतर नहीं, बुरे से बुरा तर है, और हदीस में है

“गुज़रा हुआ कल, आज से बेहतर था, और आज का दिन आने वाले कल से बेहतर है, ता-क़यामत इसी तरह होगा

”अब इस हदीस से और साफ हो गया की, पहले का गुज़रा हुआ दिन अच्छा और आने वाला और खराब होगा लिहाज़ा सहाबा ने जो किया अच्छा किया और उसे उलमा ने बाकी रखा तो और अच्छा किया,

हदीस में है की हुज़ूर ने फरमाया

انه سيحدث بعدى اشياء وان من احبها الى لما احدث عمر

मेरे बाद बहुत सी चीज़ें नई ईजाद होंगी उनमें से मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है जो उमर ईजाद करेंगे

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب والله يرجع اليه مآب

सुवाल 44

अगर कोई औरत ये कहै की मेरे उपर किसी बुज़ुर्ग की सवारी आती है क्या कोई वली किसी औरत पर आ सकते है ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

ऐसी औरत मक्कार और झूठी है, वरना जाहिल तो ज़रूर है, किसी भी वली या इंसान की सवारी किसी दूसरे इंसान पर नहीं आती, हाँ, कुछ लोगो पर जिन्नात ज़रूर आते है, जो अपने आप को वली कहते है और जिस पर आते है उसे इसकी खबर नहीं होती, फिर लोग वही समझ लेते है, जो वो जिन्न कहता है मसलन किसी पर जिन्न आया और कहा मे ग़ौस ए आज़म हूँ, अब लोग उसे समझते है की ग़ौस की सवारी आती है, और ये सब ड्रामा जिन्नात तफरीह करने के लिए करते है, और ये भी याद रखे की जिन्न भी किसी किसी पर आते है, हर किसी पर नहीं कुछ लोगो का तो खुद का ड्रामा होता है,

वक्रारूल फतावा जिल्द: 01 सफह:177 पर है

”किसी मर्द या औरत पर किसी बुज़ुर्ग की सवारी नहीं आती, सिर्फ़ जिन्नात का असर होता है वो भी किसी किसी पर, मगर इस जिन्नात से सुवाल करना या आइन्दा का हाल मालूम करना नाजाइज़ है“

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

सुवाल 45

औरत अगर बालो का जूड़ा बना कर वजु करे तो वजु होगा की नही ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

औरत ने बालो का जूड़ा बँधे बँधे वजु किया तो वजु हो जाएगा इसमे किसी तरह का कोई हर्ज नही, और अगर गुस्ल किया तो गुस्ल भी हो जाएगा, चाहे जुडे के बाल पूरे गीले हो या ना हो, फिर भी गुस्ल हो जाएगा, (बस सर यानी बालो की जड़ मे पानी जाना चाहिए,)

والله تعالى أعلم بالصواب

सुवाल 46

मेरा सवाल ये है क्या औरत आवाज़ से कुरआन शरीफ की तिलावत नही कर सकती ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

कुरआन की तिलावत आवाज़ के साथ ही करनी चाहिए, और कम से कम इतनी आवाज़ जो खुद के कान तक आ सके, और औरत को इतनी आवाज़ से कुरआन पढ़ना जाइज़ नही की उसकी आवाज़ ग़ैर मर्द के कानो तक जाए, इसी तरह मीरात उल मनाज़ी शरह मिश्कातुल मसाहबिह जिल्द:6

सफह:445 पर है

“औरत को अज़ान देना, तकबीर कहना, खुश-इल्हानी (अच्छी आवाज़) से अज्जबियो के सामने तिलावते कुरआन करना सब मना है, औरत की आवाज़ भी सित्र है,”

मीरात उल मनाज़ी शरह मिश्कातुल मसाहबिह जिल्द:8 सफह:59 पर है

”जो औरत क़ारिया हो वो भी अपनी क़िराअत औरतो को सुनाए, मर्दों को ना सुनाए, क्यूंकी औरत की आवाज़ का भी पर्दा है“
والله تعالى اعلم

सुवाल 47

सलाम, बीवी के हुक्क तो हर लड़की को अमूमन मालूम है, इसीलिए हिन्दुस्तानी लड़की परेशानियों के हृद से गुज़र जाने के बावजूद ना मैके की दहलीज़ फलांगती है ना सुसराल की इसलिए हज़रत बराए करम रहनुमाई फरमाये के 1 शोहर के हुक्क क्या है, 2- जो बीवी घर की सारी ज़िम्मेदारी अदा करती हो जो शोहर की है इस के लिए क्या हुक्म है, हज़रत तसल्ली बख़्श जवाब इनायत फरमाये जज़ाकल्लाह

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

इसकी तफ़सील आप किसी किताब (जन्नति ज़ेवर, वगेरा) से पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है एक जवाब मे सब बताना मुमकिन नही. कुछ मुख्तसर अर्ज़ है, हदीस मे फरमाया

“तुम मे अच्छे वह लोग हैं, जो औरतो से अच्छी तरह पेश आएँ”
बुखारी मे है

“कोई शख्स अपनी औरत को ना मारे, जैसे गुलाम को मरता है,
इहिया उल उलूम मे है

“हुज़ूर की आखरी वसीयत 3 बातों पर थी, और बार बार उन्हे ही दोहरा रहै थे, यहा तक की जुबान मे तुतलाहट और कलाम मे आहिस्तगी आ गई, आपने फरमाया – नमाज़ को लाज़िम पकड़ो, नमाज़ को लाज़िम पकड़ो, और जिनके तुम मालिक हो उन पर उनकी ताक़त से ज़्यादा बोझ ना डालो, औरतो के मुआमले मे अल्लाह से डरते रहो, की ये तुम्हारे हाथ मे कैदी हैं, तुम ने उन्हे

अल्लाह की अमानत के साथ लिया है, और अल्लाह के कलिमे के साथ उनकी शरमगाह को हलाल किया है,”

* औरत के साथ हुस्न ए अखलाक से पेश आओ, और वो ये है की उससे तकलीफ़ को दूर करो, हालते गुस्से वा गज़ब मे सब्र इख्तियार करना हुस्ने अखलाक है,

* उनके साथ कुछ नमी से खेल कूद और खुश तबइ भी करे, की ये औरत के दिल को खुश करने वाला है,

* फ़ारूके आज़म का क़ौल है की – आदमी को अपने घर मे बच्चे की तरह रहना चाहिए,

हज़रत ए लुक़मान का क़ौल है – अक़लमंद को चाहिए की घर मे बच्चे की तरह रहै बाहर मर्द की तरह (मुराद अपनी बीवी से प्यार मोहब्बत करने वाला, मज़ाक करने वाला उसका दिल खुश करने वाला, नाकी हमेशा गुस्से वाला, मारने वाला)

*लुक़मा (खाना) मे एह्तिदाल- मर्द को चाहिए की ना तो बिला वजह तंगी कर ना फ़िज़ल खर्ची करे,

*इल्म- औरत को उसकी ज़रूरत के इल्म से आगाह करना भी उसके हाक़िम (आदमी) के ज़िम्मे है, इसी तरह हर फ़र्ज़ वाजिब का उसके वक़्त पर हक़्म देना और हर हराम से बचते रहने की ताक़ीद करना ठीक वैसे ही नाफ़रमान औरत को अदब सिखाए, मगर इस तरह के ये “टेडी पसली टूटने ना पाए” और ये हदीस भी ज़हन मे रहै”औरतो के मुआमले मे अल्लाह से डरते रहो”

तीन दिन से ज़्यादा औरत से ताल्लुक़ ना तोड़े, और मारने की ज़रूरत आए तो हल्की मार से मारे, वरना नाराज़गी ज़ाहिर करे, खाना, बिस्तर अलग करे, मगर जुल्म या गुलाम की तरह ना मारे,

और जो औरत अपने शोहर का हक़ अदा करे तो उसके मुताल्लिक़ फ़रमाया - तबरानी मे है

“जो औरत खुदा की फ़र्माबरदारी करे, और शोहर का हक़ अदा करे, और उसे नेक काम की याद दिलाए, और अपनी इज़्ज़त और अपने माल मे ख़यानत ना करे, तो ऐसी औरत के और शहीदो के दरमियान जन्नत मे एक दर्जे का फ़र्क़ होगा.”

अबु नईम ने हज़रत अनस से रिवायत किया

“औरत जब पाँचो नमाज़े पढे, और माहै रमज़ान के रोज़ रखे, और अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करे, और शोहर की फ़र्मा बरदारी करे, तो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहै दाख़िल हो”

तिरमिज़ी उम्मे सलमा से रावी

”जो औरत इस हाल मे मरी की उसका शोहर उससे राज़ी था वह जन्नत मे दाख़िल होगी ,

والله تعالى اعلم بالصواب والله يرجع اليه مآب

सुवाल 48

अगर हाथ मे चूड़ी या कुछ ना पहने हो तो पानी मकरूह हो जाता या नही और बिना हाथ मे कुछ पहने वज़ु और नमाज़ हो जाती है

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

औरत को बिना ज़ेवर रहना मकरूह है, मगर उसके हाथ का पानी जाइज़ और वज़ु नमाज़ भी हो जाएगी, मगर बिना ज़ेवर नही रहना चाहिए कुछ ना कुछ ज़रूर पहने, और ना पहनना मर्दो से मुशाबेहत है, हदीस मे है

(يا عَلِيُّ، مَرْئَسَاءُكَ لَا يُصَلِّيَنَّ عُطْلًا) (ए अली अपने घर की औरतो को हुक्म दो की बे-ज़ेवर नमाज़ ना पढे)

आला हज़रत इमाम ए इश्क़ ओ मोहब्बत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी

फ़तावा रज़वीय्या जिल्द: 22 सफ़ह:127 फ़रमाते हैं

“(औरत को) बिल्कुल बे-ज़ेवर रहना मकरूह है, की मर्द से मुशाबेहत है” और हज़रत आएशा औरतो को बे-ज़ेवर नमाज़ को मकरूह जानती और फरमाती - (ज़ेवर मे) कुछ ना पाओ तो एक डोरा(धागा) ही गले मे बाँध लो” और इसी तरह मेहन्दी लगाना औरतो को लिए सुन्नत है, यहा तक की हाथ बे-मेहन्दी ना रखे, की औरत के बे-मेहन्दी रहना भी मर्द से मुशाबेहत है, और हदीस मे हुज़ूर ने एक सहाबिया को बैत करने से पहले फरमाया “हम तुमको बयेत ना करेंगे जब तक के तुम अपने हाथो मे तब्दीली ना लाओ” (यानी उस ख़ातून के हाथ बे-मेहन्दी के थे, मतलब तुम्हारे हाथ मर्द की तरह सफेद है, इनमे मेहन्दी से रंग करो फिर बयेत करो, इससे मालूम हुआ की औरतो को मर्द की तरह चिट्ठे हाथ रखना मकरूह है,)

मीरात शरह मिश्कात

लिहाज़ा ख़वातीन को चाहिए की कुछ ज़ेवर चूड़ी, कड़े, बुन्दे वगैरा ज़रूर पहने रहै (मगर ज़ेवर की आवाज़ ग़ैर मर्द को ना जाए, और अगर पायल मे घुंगरू हो तो उस झांझर को तोड़ दे ताकि आवाज़ ना हो,) और कम से कम नाखून पर ज़रूर मेहन्दी लगाए, वरना पूरे हाथ पर, ताकि हदीस पर अमल हो जाए, (अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ दे)

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

सुवाल 49

नूर नामा पढ़ना कैसा है, हमारे यहाँ की ख़वातीन हर जुमुआ को पढ़ती है क्या ये जाइज़ है ? कोई किताब की दलील दीजिए ताकि में बता सकूँ, बराए करम

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

पता नही आप किस किताब नूर नामा की बात कर रहै है, क्युंकी हो सकता है की अब कोई नई और सही रिवायत के साथ शायी हो चुकी हो और अगर एक

छोटी किताब नूर नामा जो काफ़ी पुरानी औरतो मे मशहूर है तो उसका पढ़ना सुनना दुरुस्त नहीं, परहैज़ चाहिए ऐसी महफ़िलो मे जाने से भी, इसकी जगह, मन्नत, हाजत के दीगर अवराद ओ वज़ाइफ़ की तिलावत करनी चाहिए और घर मे खैर के लिए यासीन, वगेरा अच्छा है, मगर ये नूर नामा, 16 सय्यदो की कहानी वगेरा से बचना ज़रूरी है,

फतावा रज़वीय्या जिल्द: 26 सफह:610 पर है

رساله منظومه بندیه که بنام نورنامه مشهور است روایتش بے اصل است

(हिन्दी ज़बान मे लिखा रिसाला नूर नामा के नाम से मशहूर है, इसकी रिवायत बेअस्ल है इसका पढ़ना जाइज़ नहीं)

फतावा फाकि ए मिल्लत जिल्द:2 सफह: 416 पर है

“नूर नामा किताब की रिवायत बेअस्ल है इसका पढ़ना दुरुस्त नहीं”
والله تعالى اعلم بالصواب والله يرجع اليه مآب

सुवाल 50

भाई वजू कर के जो अपपन जनमाज़ पर नमाज़ पढ़ते है तो जनमाज़ के उपर पानी भी लगता है तो मेने सुना है के वजू का पानी पाक नहीं होता ये ठीक है और अगर अपपन पौछले तो भी नहीं पौच्छना बोल के सुना था वजू कर के नहीं पौचना ज़रा बोलो आप

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

و عليكم السلام والرحمة الله

वजु का पानी पाक है जनमाज़ या कपड़े पर लगेगा तो नापाक नहीं करेगा, और जिससे पानी को आपने नापाक सुना बोलके वो गलतिच पर है, अब रहा ये की अपपन लोग जो वजु करके हाथ मुँह खुशक करते, वैसा करना चाहिए की नहीं तो बेहतर ये है की पूरी तरह खुशक ना करे, बल्कि पानी की तरी रहने दे, हदीस मे आया की “मेरे उम्मीतीओ के आज़ा, वजु की वजह से सफेद

होंगे” और मुफ़्ती अमजद अली साहिब वज़ु को पोछने को मना किए बोलके,
 बहारे शरीअत बाबुल वज़ु जिल्द: 1 सफह: 300 पर है
 आज़ा ए वज़ु बग़ैर ज़रूरत ना पोछे और पोछे तो बेज़रूरत पूरा खुशक ना करे.
 और इसी तरह आलाहज़रत भी अपपन सुन्नी लोगा को वज़ु का पानी खुशक
 करने से मना किए बोलके,

फतावा रज़वीय्या जिल्द:1 सफह:317 पर है

बेहतर ये है की बे-ज़रूरत ना पोछे और ... और पोछे तो बे-ज़रूरत बिल्कुल
 खुशक ना करले क़द्रे नम बाक़ी रहने दे,

हदीसे- पाक मे है की ان الوضوء يوزن

(ये पानी क्रियामत मे नेकी के पल्ले मे रखा जाएगा)

मगर, अगर मस्जिद मे नमाज़ के लिए जाना हो तो ज़रूर पानी को इतना
 खुशक करे की मस्जिद मे इसके क़तरे ना गिरे की ये गुनाह है, इसी तरह

फतावा रज़वीय्या जिल्द: 4 सफह:338 पर है

“मस्जिद मे उनका गिराना जाइज़ नहीं, बदन इतना पोछ कर की क़तरे ना
 गिरे, मस्जिद मे दाखिल हो”

والله سبحانه وتعالى اعلم

सुवाल 51

क्या नाबालिग बच्चे को सोने चाँदी के ज़ेवर जैसे चेन, लोकिट अंगूठी वग़ैरा
 पहना सकते है या नहीं

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

अगर बच्चे से मुराद लड़का है तो सिर्फ़ चाँदी की सवा चार माशा की अंगूठी के
 सिवा कुछ भी जाइज़ नहीं, और लड़की है तो सोने चाँदी मे सब जाइज़ है,
 और बच्चे (लड़के) को जिसने पहनाया वो गुनहगार होगा, मसलन औरत ने

पहनाए तो वो गुनहगार, और मर्द ने क्रदरत रखने के बा-वजूद ना रोका या खुद भी राज़ी था तो वो भी गुनहगार इसी तरह मुफ़्ती अमजद अली साहिब ने बहारे शरीअत जिल्द:3 सफ़ह:428 पर लिखा है

“लड़को को सोने चाँदी के ज़ेवर पहनाना हराम है, और जिसने पहनाया वो गुनहगार होगा”

मिशकात शरीफ की हदीस में है – हज़रत मालिक ने फरमाया – मुझे खबर पहुँची है, की हुज़ूर ने सोने की अंगूठी पहनने से मना फरमाया, तो मे इसे बड़े, छोटे मर्दों के लिए नापसंद करता हूँ.

इस हदीस की शरह ब्यान फरमाते हुए मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी साहिब मीरात शरह मिशकात जिल्द:6 सफ़ह:135 पर फरमाते हैं-

”यूँ ही चाँदी भी छोटे बच्चों लड़को को ना पहनाई जाए, सिवा सवा चार माशा की अंगूठी के, खुलासा ये है की सोने चाँदी का ज़ेवर बालिग़ मर्दों की तरह, नाबालिग़ लड़को को पहनाना हराम है, मगर इसका जुर्म पहनाने वाले अज़ीज़ों पर होगा, की नासमझ बच्चे शरई अहकाम के मुकल्लफ नहीं, والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

सुवाल 52

हज़रत कल मेरे पास एक sms यह आया (तुम तीन तलाक़ देकर ही मानोगे तब बुरा मत मानना जब हमारी कोई बहन या बेटी हो) हज़रत ऐसे कोई जवाब दीजिए जिससे उन्हें एक दम साफ़ हो जाए की शरीअत में सब हक़ और बरहक़ और क़यामत तक हक़ रहैगा. हज़रत जिन्हो ने यह बात कही वो मेरे टीचर भी रहै है इंग्लीश और एकनामिक सब्जेक्ट के और इन्हे इस्लाम की भी नालेज है.

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

इस्लाम को समझने के लिए जो लोग मुसलमान अवाम को देख कर दीन और इस्लाम का अंदाज़ा करते हैं की शायद इस्लाम यही है तो वो बहुत बड़ी खता पर हैं, इस्लाम को जानने के लिए आलिमों की ज़रूरत दर-पेश होती है, खुद कोई इंग्लीश या एकनामिक का टीचर भी अपनी अक़ल से इस्लाम को नहीं समझ सकता, मैं इन टीचर साहब से इतनी बात पूछना चाहता हूँ, की आप ने ईको. की पढ़ाई खुद ईको. के टीचर्स या स्टूडेंट को देख देख कर या बुक देख कर ली, या फिर आपको बा-क़ायदा इसके क़ायदे क़ानून किसी ईको. के जानने वाले ने सिखाए और समझाए ? अगर आपका जवाब है की बक देखने या ईको के स्टूडेंट को देखने से ईको नहीं आ जाती बल्कि ईको के जानने वाले के पास रूजू करना पड़ता है फिर बुक को वो समझाता है तो फिर, इन साहब ने इस्लाम या तलाक़ को लोगो से सुन कर कैसे मान लिया, क्या ये किसी आलिमे दीन के पास गये ? या किसी आलिम ने इनसे कहा की “हम तलाक़ पर राज़ी हैं” 3 तलाक़ के मसले को जो आज हवा दी जा रही है उसे पेश करने का अंदाज़ ग़लत है, और जो बात सुवाल में कही की “हम 3 तलाक़ पर राज़ी हैं” ये आपके टीचर का महज़ इल्ज़ामे बे- बुन्यादी है, ये अपनी क़ौल को साबित नहीं कर सकते की मुसलमान इस पर राज़ी है,

मसअला ये है की, हम 3 तो 3 एक तलाक़ पर भी राज़ी नहीं इसका मतलब ये है की हम ये बात पसंद नहीं करते की कोई शख्स गुस्से या ज़ुबे में आ कर तलाक़ दे और किसी औरत की ज़िंदगी बर्बाद कर दे, ऐसा ना तो अल्लाह को पसंद ना उसके रसूल को ना इसकी ताइद कोई आलिम करता है, अगर Govt. कोई तब्दीली चाहती है, तो ऐसे लोगो के लिए ज़रूर कोई क़ानून पास करे, जो शादी जैसे अज़ीम रिश्ते को मज़ाक बनाते हैं और तलाक़ देते हैं, हम इस हरकत के ज़रूर खिलाफ हैं, और हर अक़ल वाला इसे पसंद नहीं करेगा, “मगर हक़ ये है की बिल फ़र्ज़ अगर किसी ने अपनी जहालत में आ कर

तलाक़ दे दी तो तलाक़ हो जाएगी” अब रहा गवरमेंट. का कहना की तलाक़ नही होगी ? तो दीन किसी पार्लियामेंट की देन नही की वो उसमे फिर से तब्दीली कर दे की, तलाक़ कब और कैसे होगी उसके क़ायदे क़ानून कुरआन हदीस से तय हो चुके हैं, अगर कोई बाद तलाक़ साथ रहता है तो क़ियामत मे ज़िना करने वालो मे होगा, इसकी एक मिसाल आपको समझाता हूँ, एक फ़ैक्टरी चाकू तैयार करती है, जिससे घरों मे सब्ज़ी काटी जाए, अब अगर कोई उस चाकू का इस्तेमाल करके किसी का गला काट दे तो, ये उसका ज़ाति फेल होगा, सज़ा उसके लिए ते की जाएगा ना की चाकू की फ़ैक्टरी बंद की जाएगी? किसी अक़ल वाले पर इसका जवाब हो, वही तलाक़ का जवाब होगा, की तलाक़ देने वाला ग़लत करता है, मगर तलाक़ हो ही जाएगी, जिस तरह गला कट जाने के बाद, मुर्दा को ज़िंदा नही किया जा सकता बल्कि उस क़ातिल के बारे मे एक्शन लेना होगा ठीक वैसे ही, तलाक़ के बाद, शरई तोर से मर्द औरत साथ नही रह सकते, अब रहा ये की औरत पर जुल्म, तो अक्सर मैंने देखा की औरत के हुक्क की वही लोग ज़्यादा बात कर रहे है, जो अपना इतिहास भूल चके, किसी बेवक़ूफ़ को इस्लाम के उसूल और हक़ ब्यान करने की हाजत है ही नही क्यूंकी इस्लाम ने जिस जिस के हक़ ब्यान कर दिए वो हक़ पूरी दून्या के किसी मज़हब मे नही, औरत तो औरत, इस्लाम ने तो 1 दिन के बच्चे के हक़. पड़ोसी का हक़, काफ़िर का हक़, सब ब्यान कर दिया, जो आज औरत के हुक्क की बात करते हैं, क्या औरतो को शोहर के मरने बाद चिता पे ना जलाया इस्लाम ने इस मौत को रोका, क्या औरत को पैदा होने के बाद ज़िंदा दफ़न नही किया जाता था, इस्लाम ने इस क़तल को रोक कर औरत को हयात बख़्शी, क्या औरत को विरासत से महरूम ना रखा गया, इस्लाम ने उसके भी हक़ उसे दिलवाया, क्या बेवा औरत को मनहूस ना

समझा गया, इस्लाम ने उसे फिर से निकाह के बाद आबाद किया, किया औरत की पैदाइश पर गमो के इज़हार ना किए गये, इस्लाम ने लड़की की परवरिश पर जन्नत की बिशारत दी, मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कहता हूँ की जिसका दिल हो लास्ट 1 साल की न्यूज़ पेपर देखे जिसमे बाप ने बेटी के साथ बलात्कार किया हो, या भाई ने बहन के साथ, आप वो सारे मामले ग़ैर मुस्लिम के ही पाएँगे, इसमे मुसलमान के घर का 1% मामला नहीं होगा, अब अगर इसी बात को बुनियाद बना कर मैं इन टीचर से कहूँ की, “हिंदू धरम बेटी से बलात्कार की इजाज़त देता है ?? तो यकीनन इन टीचर का यही जवाब होगा की नहीं, ऐसे काम की इजाज़त कोई धरम नहीं देता ये उस का अपना काम है, तो फिर इस्लाम के लिए ये कैसे ते हो गया की तलाक़ को इस्लाम या मुसलमान पसंद करता है? जिनके घर मे खुद की बेटिया महफूज़ नहीं वो मुसलमान की औरतो के हकूक की बात करते हैं, ये तो वही हुआ की 900 चूहे खा कर बिल्ली हज़ को चली, औरत को हकूक के लिए आवाज़ उठाने वालो को चाहिए, की पहले अदालत का जायज़ा लें, की तलाक़ के कितने मसले आपकी अदालत मे मुसलमान के है और कितने ग़ैर मुस्लिमो के इसके साथ आपको सच, सूरज की तरह रोशन हो जाएगा, लिहाज़ा चाहिए की पहले अपनी क़ौम की औरतो के वो लाखो केस क्लियर करके उनके साथ इंसाफ़ कर दो, मुसलमान को अपने शरई मसाइल मे किसी अदालत की हाज़त नहीं उसके लिए आज भी उलमा काफ़ी है, और अल्लाह के फ़ज़ल से जितने मसअले उलमा हज़रात हल करके अंजाम तक पहुंचा देते है, उससे कही ज़्यादा आज तक आपके कोर्ट मे पेंडिंग है, जिसे ना आज तक अदालत निपटा सकी, ना उन्हे इंसाफ़ मिला, उन पेंडिंग मामलो को ख़तम करने पर ग़ौर करोगे तो आपकी क़ौम को कुछ राहत मिलेगी, मुसलमान 3 तलाक़ को

ना-पसंद करता है, और जहा तक मुमकिन हो घर का मामला आखरी कोशिश तक सुलझाना चाहिए, यही तालीम इस्लाम की है, इस्लाम घर बसने पर ज़ोर देता है, इसीलिए विधवा को निकाह की इजाज़त है, ना की मरने की, फिर भी कोई अपनी जहालत से अपना घर तोड़ दे तो उसमे शरीअत का कोई दोश नहीं, ज़ेहर खाने वाला अपनी मौत का खुद ज़िम्मेदार है, खाएगा तो मरना ते है, मगर ज़ेहर तय्यार करने वाले इसकी इजाज़त नहीं देते की कोई खाए, शरीअत तब्दील नहीं हो सकती, आज भी मुसलमान अपने तलाक़ के मसअले पर उलमा से फ़तवा लेते है और लेते भी रहेंगे, अदालत मे जाने वालो की तादाद बहुत ना के बराबर है, छुरी आपके पास है, ज़ेहर आपके पास है, सही इस्तेमाल करो या ग़लत, मगर ग़लत इस्तेमाल करने वाला खुद मौत का ज़िम्मेदार है, ना की छुरी की फ़ैक्टरी या ज़ेहर बनाने वाला, चाहै मौत ज़ेहर से साबित हो जाए तब भी ज़ेहर के फ़ॉर्मौले मे कोई तब्दीली नहीं हो सकती, लिहाज़ा आपके टीचर का ये बेजा इल्ज़ाम है की मुसलमान तलाक़ पर राज़ी है, हक़ ये है की मुसलमान तलाक़ को हक़ समझता है, मगर इस पर खुश और राज़ी नहीं”

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

सुवाल 53

हज़रत सवाल है की अगर घर मे नमाज़ पढ़ रहै हो और 2, 3 साल का बच्चा अगर सीडीयो से गिर जाए, या किसी तरह ज़्यादा लगे, चिल्लाए ,रोए, तो उस वक़्त अगर कोई और ना हो तो, क्या नमाज़ तोड़ कर जा सकते है, या क्या करना चाहिए ? वजाहत कर दे तो मेहरबानी होगी,

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

जो सूरत सुवाल मे ब्यान की, की 2-3 साल का छोटा बच्चा ज़ीने से गिर जाए, तो उसके लिए नमाज़ तोड़ सकते हैं, और अगर ज़ीने से अभी गिरा तो नहीं, मगर उस तरफ जा रहा है और खोफ़ है की ज़रूर गिर जाएगा, और बचाने वाला कोई नहीं, और नमाज़ी ने देख लिया तो उसे बचाने के लिए गिरने से पहले भी नमाज़ तोड़ सकता है, बल्कि अगर ये मामला ऐसे उँचे ज़ीने पर हो की यक़ीनन मर जाएगा तो नमाज़ तोड़ना वाजिब है,

सद्र उस शरीया हज़रत अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आज़मी, बहारे शरीअत जिल्द:1 सफ़ह: 637 पर लिखते हैं,

“कोई मुसीबत ज़दा फर्याद कर रहा हो, इसी नमाज़ी को पुकार रहा हो, या मुतलक़न किसी को पुकार रहा हो, या कोई डूब रहा हो, या आग से जल जाएगा, इन सब सूरतो मे नमाज़ तोड़ देना वाजिब है, जबकि ये बचाने पर क़ादिर हो,

बहारे शरीअत जिल्द:1 सफ़ह: 637 पर है,

“अपने या पराए एक दिरहम के नुक़सान का ख़ौफ़ हो, मसलन- दूध उबल जाएगा या गोश्त या तरकारी रोटी वग़ैरा जल जाने का ख़ौफ़ हो या एक दिरहम की कोई चीज़ चोर ले भगा, इन सुरतो मे नमाज़ तोड़ देने की इजाज़त है”

लिहाज़ा जान का नुक़सान या आज़ा (पार्ट ऑफ़ बॉडी) का ज़ाया हो जाना माल से क़ीमती है, लिहाज़ा बच्चे के ज़ीने से गिरने पर या गिरने से पहले भी नमाज़ तोड़ी जाएगी,

والله تعالى اعلم وعلمه جل مجده اتم واحكم-

सुवाल 54

क्या हमे गुसल के बाद दुबारा वुजू करना चाहिए ? नमाज़ के लिए,

بسم الله الرحمن الرحيم जवाब

वज्रु, गुस्ल मे शामिल है, जिसने गुस्ल किया उसका वज्रु भी हो गया, लिहाज़ा आपको गुस्ल के बाद वज्रु करने की ज़रूरत नहीं, और हदीस मे भी इससे मना फरमाया है, फरमाया हुज़ूर ने की “जो गुस्ल के बाद वज्रु करे वो हम मे से नहीं” (लिहाज़ा गुस्ल के बाद जब तक वज्रु ना टूटे नमाज़ के लिए वज्रु की हाज़त नहीं)

وَهُوَ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

सुवाल 55

क्या बाप अपनी बेटी और शोहर अपनी बीवी को नमाज़ पढ़ने को कहै या पर्दा करने को कहै पर वो कभी तो हुक्म माने और कभी नहीं तो ऐसे मे शोहर गुनहगार होगा या फिर शोहर को अपनी बीवी को तलाक़ देना वाजिब है क्या बीवी और बेटी बात ना माने फिर वो शख्स की कोई इबादत कुबूल नहीं.

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

जो सूरत आपने ब्यान फरमाई है उसमे तलाक़ देना वाजिब नहीं, इन मर्दों को चाहिए की इनसे नाराज़गी ज़ाहिर करे, यानी शोहर अपना बिस्तर अलग कर लें, ना साथ खाए ना पिए, और ज़रूरत हो तो हल्की मार से मार भी सकता है, की बदन पर निशान ना पड़े, की मर्द औरत का हाकिम है और गुनाह से रोकने पर क्रादिर भी होता है, लिहाज़ा गुस्से और सख्ती से भी काम लिया जा सकता है, ताकि नमाज़ की पाबंद बने और शरई पर्दा करे, और ये इस सूरत मे मुमकिन होता है जब शोहर खुद भी शरीअत का पाबंद होता है, नमाज़ वगेरा पढ़ता है और घर मे टीवी जैसा फितना नहीं होता, क्यूंकी गाना, दिल मे निफाक पैदा करता है,

इहिया उल उलूम जिल्द:2 सफह:182 पर है

“अगर सरकशी ख़ासतौर पर औरत की तरफ से हो मर्द अफ़सर है औरत पर, उसे इख़्तियार है की वो उसको अदब सिखाए, और ज़बरदस्ती उसे इता'अत पर मजबूर करे, इसी तरह अगर औरत नमाज़ ना पढ़ती हो तो भी मर्द को इख़्तियार है की वो उसे ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ने पर मजबूर करे,
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

सुवाल 56

हज़रत, मेरा सवाल है के शोहर अपनी बीवी से कितने दिन दूर रह सकता है जैसा की आज कल देखा जाता है शोहर रोज़ी कमाने के लिए शहर से दूर जाते है और महीनो घर नहीं आ पाते बाज़ तो सालो तक नहीं आते ऐसे मे शोहर गुनहगार होगा या नहीं हज़रत जवाब हवाले के साथ बताइए
जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

अगर इस दूरी पर दोनो राज़ी हैं, और औरत भी राज़ी है की शोहर बाहर कमाए तो फिर कोई गुनाह नहीं, ना शोहर पर ना बीवी पर, और बीवी राज़ी नहीं, तो बेहतर ये है की ज़्यादा से ज़्यादा 4 माह मे मुलाक़ात कर लिया करे, मंकूल है - कोई शोहर बीवी से 4 माह से ज़्यादा अरसे के लिए ग़ायब ना हो जाहिल सूफियो को आदाबे तरीक़त सिखाने वाले उम्मत के वाली यानी हुज्जत अल इस्लाम हज़रत इमाम ग़ज़ाली इहिया उल उलूम जिल्द:2

सफ़ह:186 पर फरमाते हैं

”मर्द को चाहिए की हर 4 रातों मे एक मर्तबा औरत से सोहबत करे, इसमे ज़्यादा अदल है” (अगले सफ़ह पर फरमाते हैं) “और इस मुद्दत मे औरत की हाज़त के मुताबिक़ कमी बेशी की जा सकती है”

والله تعالى أعلم

सुवाल 57

साहब एक सुवाल ज़हैन मे गर्दिश कर रहा है, जवाब अता फरमाएँ, सुवाल ये है की, तलाक़ देने का हक़ मर्द को दिया गया है, हालाकी, निकाह मर्द औरत दोनो की रिज़ामंदी से होता है, तो फिर औरत को ये इख़्तियार क्यूँ नही की वह भी जब चाहै इसको ख़तम कर सके

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

औरत मे मक्कारी मर्द से ज़्यादा होती है इसमे कोई शक नही, और फिर, हदीस कहती है, की औरत शैतान का हथियार है, अक़ल से नाक़िस (अधूरी) है, लिहाज़ा अल्लाह के फैसले हिकमत वाले हैं, अगर औरत को मुक़म्मल इख़्तियार दिया जाता तो क्यूँकी ये शैतान का हथियार है, तो ज़ाहिर है शैतान इन्हे जल्द बहका देता और घर बर्बाद करवा देता फिर एक शहवते नफ़स औरत मे मर्द से 100% ज़्यादा होती है, अगर इन्हे इख़्तियारे तलाक़ दे दिया जाए तो हर हफ़्ते नया मालदार शोहर तलाश करके निकाह कर लें, क्यूँकी इसमे शक नही के जिस दौर मे हम है, उसमे औरतो की अक्सरीयत फेशन पसंद है, और ज़ेवर, कपड़ा, मेकप की बुन्याद पैसा है, फिर औरत मे दिखावे का एक कीड़ा और होता है, किसी का नया महंगा सूट देख कर, उससे अच्छा लाने की तलब, और क्यूँकी कुरआन ने मर्द को हाकिम बनाया है, तो हाकिम उसी सूरत मे क़रार पाएगा की हक़ उसको दिया जाए, वरना मर्द औरत का गुलाम हो जाएगा, फिर औरत तलाक़ की धमकी दे कर हर काम शोहर से करवा लेगी, आज ही देख लो, तलाक़ का हक़ नही है, फिर भी, अगर नया सूट, चप्पल, ज़ेवर चाहिए होता है तो कैसे कैसे चाल चल कर जाल बुना जाता है, फिर पावर होगी तो अल्लाह की पनाह, जैसे गंजे को नाखून, फिर हाल ये होगा की, “इस महीने 4 सूट बन जाने चाहिए वरना तुम्हे तलाक़ दे दूँगी”, वगेरा वगेरा, ये तो था दलायल ए अक़लिया, और

नफ़स ए मसअला, ये है की, शरीअत मे औरत को भी तलाक़ देने का हक़ है, लिहाज़ा ये कहना दुरुस्त नही की औरत को क्यूँ हक़ नही,? फ़र्क़ ये है की, औरत अहकाम से वाकिफ़ नही, अगर कोई मर्द औरत को तलाक़ का इख़्तियार दे दे, तो औरत खुद को तलाक़ दे सकती है, ये भी शरीअत मे मौजूद है, मगर मर्द को चाहिए की इख़्तियार ना दे, वरना जो सूरत उपर ब्यान हुई पेश आने का ख़ौफ़ हैं

बहारे शरीअत जिल्द: 2 सफ़ह: 134 पर है

“औरत से कहा तुझे इख़्तियार है या तेरा मामला तेरे हाथ, और इससे मक़सूद तलाक़ का इख़्तियार देना है, तो औरत उस मजलिस मे अपने को तलाक़ दे सकती है, अगर शोहर ने वक़्त मुक़रर कर दिया था मसलन, आज उसे इख़्तियार है (की खुद को तलाक़ दे दे) और वक़्त गुज़रने के बाद औरत को इल्म हुआ (की मेरा वक़्त आज का था गुज़र गया) तो अब कुछ नही कर सकती”

नोट – याद रहै इस मसअले मे वक़्त, मजलिस, इख़्तियार बातिल, वगैरा होने की बहोत तफ़सील है, लिहाज़ा इस जवाब को इस मौजू पर मुकम्मल तसवउर ना किया जाए, तहरीर मे बताने का मक़सद फ़क़त इतना है की तलाक़ का हक़ औरत को भी हो सकता है, अगर मर्द दे दे, और मेरे इस कलाम मे कुछ तल्ख़ बाते शामिल है, लिहाज़ा ख़वातीन बुरा ना माने, ये सब के लिए नही मगर जो ऐसी हैं,
والله تعالى اعلم

सुवाल 58

क्या फरमाते है उलमा किराम इस मसअले मे की बकर और हिंदा के पहले नाजाइज़ ताल्लुकात थे यानी लव स्टोरी अब दोनो की शादी दूसरी जगह पर हो गयी है और बकर अक्सर नमाज़ के बाद हिंदा से निकाह करने की दुआ

माँगता है तो क्या इस तरह शादीशुदाह औरत के लिए इस तरह से दुआ माँगना जाइज़ है या नहीं और अगर है तो कोई वज़ीफ़ा बताए और नाजाइज़ है तो बकर पर शरीअत का क्या हुक्म है मक़सूद आलम रज़वी खवजा नगर पंतोड़ा गुजरात

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

शादीशुदा औरत की तलब या दुआ गुनाह के लिए दुआ है की जब औरत पहले से निकाह मे है तो दूसरे मर्द के लिए हराम है और हराम चीज़ के लिए दुआ भी गुनाह है.

फ़ज़ाईले दुआ सफ़ह:176 पर है

गुनाह की दुआ ना करे की पराया माल मिल जाए, या कोई फाहिशा ज़िना करे, की गुनाह की तलब भी गुनाह है.

وَهُوَ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

सुवाल 59

क़ज़ा नमाज़ का तरीक़ा बताए, जिसके ज़िम्मे बहुत सारी हो, जैसे ज़ैद की उमर 21 साल है और उसे याद नहीं है कितने नमाज़े क़ज़ा करे वो लेकिन जितना पता है बहुत सारी क़ज़ा नमाज़ है उसके जवाब तफ़सील से बताए. ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

नमाज़े क़ज़ा अदा करने का तरीक़ा,

क़ज़ा नमाज़ अगर याद ना हो की पिछली ज़िंदगी मे कितनी रह गई, तो जब से बालिग हुआ जब से अब तक, या जब से नमाज़े शुरू की है वहाँ तक के साल का अंदाज़ा लाया जाए, अगर ये याद नहीं की कब बालिग हुए तो लड़का 12 साल से अंदाज़ा लगाए लड़की 9 साल से, यानी अगर ज़ैद ने 21 साल मे नमाज़ शुरू की (इससे पहले क़ज़ा करता था या करती थी,) तो, 12 से 21 साल तक यानी 9 साल की नमाज़ क़ज़ा हुई और लड़की (अगर 20

साल की है तो) की 9 से 20 यानी 11 साल की नमाज़ ज़िम्मे बाकी हुई, हम इसी मिसाल की बुनियाद पे आगे ज़िक्र करते हैं, मसलन ज़ैद की 9 साल की नमाज़ क़ज़ा हैं तो ...

एक साल मे दिन 365 यानी एक साल मे 365 नमाज़ क़ज़ा हुई, वो भी हर एक वक़्त की (यानी 365 फज़्र, 365 असर वगैरा वगैरा)

9 साल मे $9 \times 365 = 3285$ नमाज़े क़ज़ा हुई, वो भी एक वक़्त की, यानी, 3285 फज़्र क़ज़ा, 3285 ही ज़ोहर क़ज़ा, 3285 ही अस्त्र और मगरिब क़ज़ा, 3285 ईशा और वित्र क़ज़ा, ये हुक्म लड़के के लिए है.

लड़की हर माह मे नापाकी के दिन को कम करेगी, मसलन 4-6 दिन हर माह नापाक रहती है तो हर माह से 4 दिन (यानी कम वाले दिन) कम करे तो उसके लिए हर महीने 26 नमाज़ क़ज़ा है, जबकि लड़के के लिए पूरी 30,

8 साल क़ज़ा करने वाली लड़की की क़ज़ा नमाज़

एक माह मे दिन 30 मगर 4 दिन नापाकी के हटाए तो दिन बचे 26 एक साल मे $26 \times 12 = 312$ (यानी एक साल मे 312 नमाज़ क़ज़ा हुई, वो भी एक वक़्त की) 8 साल मे दिन $312 \times 8 = 2496$, वो भी एक वक़्त की यानी, 2496 फज़्र क़ज़ा, 2496 ही ज़ोहर क़ज़ा, 2496 ही अस्त्र और मगरिब क़ज़ा, 2496 ईशा और वित्र क़ज़ा, (और ये 4 दिन मिसाल के तोर पर कम किए गये,)

हर लड़की या औरत अपने नापाकी के दिन कम से कम वाले खुद अंदाज़े से घटाए, हो सकता हो किसी के 6 दिन हो, तो वो 6 हर माह कम करे)

अब इस क़ज़ा नमाज़ पढ़ने का आसान और शॉर्ट तरीक़ा, सबसे आसान और बेहतर तरीक़ा है की पहले एक ही वक़्त की नमाज़ अदा करे यानी पहले सभी फज़्र पढ़ ले फिर इस तरह पूरी होने पर अगली (ज़ोहर)

पढ़े, यानी जब भी क़ज़ा नमाज़ पढ़े तो पहले फज़ ही की क़ज़ा पूरी करता रहै, जब तक पूरी ना हो जाए,

क़ज़ा नमाज़ की नियत कैसे करें, - इसके दो तरीक़े हैं (जिस तरह चाहै पढ़े,)

1- नियत की मैंने 2 रकाअत नमाज़ फज़ क़ज़ा जो मुझसे सबसे पहले क़ज़ा हुई वास्ते अल्लाह के..... अल्लाहू अकबर

2. नियत की मैंने 2 रकाअत नमाज़ फज़ क़ज़ा जो मुझसे सबसे आखरी क़ज़ा हुई वास्ते अल्लाह के..... अल्लाहू अकबर

(जिस वक़्त की पढ़े वही नाम ले, ज़ोहर, अस्त्र वगेरा) नियत बाँधते ही सबसे पहले सूरह फातिहा शुरू कर दे, (यानी सना वगेरा छोड़ दे) फिर सूरत मिलाए फिर रुकु मे जा कर 1 बार तसबीह पढ़े, और सजदे मे जा कर भी एक बार ही तसबीह पढ़े, इसी तरह 2 रकाअत पढ़े और जब सलाम फेरने बैठे तो अत्तहिय्यात पूरी पढ़ कर, اللهم صلى على محمد واله पढ़े और सलाम फेर दे यानी बाद वाली दुआ भी ना पढ़े, इस तरह, ज़ोहर क़ज़ा की, अदा करता जाए, (4 रकाअत वाली मे आखरी की दो रकाअत मे सुरे:फातिहा ना पढ़े बल्कि 3 बार سبحان الله कहै, और वित्र मे, तीसरी मे फातिहा और सूरत ज़रूर पढ़े और तकबीर कह कर, कुनूत ना पढ़े बल्कि 1 या 3 बार رب اغفر لي कह ले,

3 वक़्तों मे नमाज़े क़ज़ा अदा नही कर सकते, 1-ज़वाल के वक़्त, 2 तुलु ए आफ़ताब के वक़्त, 3 मगरिब से 20 मिनट पहले तक, अस्त्र बाद क़ज़ा पढ़ सकते हैं, और जब मगरिब मे 20-25 मिनट. रह जाए तो ना पढ़े,

क़ज़ा नमाज़ चुपचाप अदा करनी चाहिए, ना किसी को बताए, ना किसी के सामने अदा करे ना इसका ज़िक्र करे, और नमाज़ पढ़ता रहै काँपी मे नोट रखे की कितने दिन की पढ़ ली,

والله تعالى اعلم وعلمه جل مجده اتم واحكم.

सुवाल 60

औरत हैज़ या निफास में थी के उसी दौरान शरई मुसाफिर हुई, और 92 किलो मीटर्स के बाद 15 दिन से कम नियत के साथ क़याम की और वही पाक हुई अब पाक होने के बाद क्या वो पूरी नमाज़ पढ़ेगी या क़सर करेगी

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

जहाँ हैज़ से पाक होगी, वहाँ से अगर आगे 92 किमोलमीटर जाना है तो क़सर पढ़े और अगर वही या 92 KM से के अंदर रुकने का इरादा है तो पूरी करे, बहारे शरीअत जिल्द:1 सफ़ह:744 पर है

“हैज़ वाली पाक हुई और अब से तीन दिन की राह ना हो तो पूरी पढ़े,”
والله تعالى اعلم

सुवाल 61

बहारे शरीयत में गुसल के बयान में लिखा है की "औरत अगर बालों का जूड़ा बनाया है तो बालों की जड़ तर कर लेना ज़रूरी है जूड़ा खोलना ज़रूरी नहीं" तो क्या अगर ढीला जूड़ा बांधा हो और जड़ तर हो जाए लेकिन बाकी के बाल में कुछ खुशक रह जाए तो गुसल हो जाएगा बराए माहैरबानी इरशाद फर्मा दे जज़कल्लाह

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

अगर औरत के सर के बाल गूँधे हैं, तो बाल खोल कर बाल की नोक तक पानी बहाना ज़रूरी नहीं, सिर्फ़ जड़ तक पानी पहुँचना काफ़ी है, और गूँधे ना हो तो पूरे बाल धोना ज़रूरी है हाँ, अगर मर्द ने जूड़ा बांधा है तो जूड़ा खोल कर बाल मुक़म्मल धोना फ़र्ज़ है, अब्बल तो मर्द को जूड़ा बांधना ही हुराम है, इसी तरह बहारे शरीअत जिल्द:1 सफ़ह:317 पर है

“सर के बाल गूँधे ना हो तो हर बाल पर जड़ से नोक तक पानी बहाना (फ़र्ज़), और गूँधे हो तो मर्द पर फ़र्ज़ है की उन्हें खोल कर जड़ से नोक तक पानी

बहाए, औरत पर सिर्फ जड़ तर कर लेना जरूरी है, खोलना जरूरी नहीं, हाँ, अगर जुड़ी/जुड़ा इतना सख्त गुँधा हो की बिना खोले जड़ तर ना होगी, तो खोलना जरूरी है”

والله تعالى أعلم بالصواب

सुवाल 62

क्या फरमाते हैं उल्माए किराम इस मसअले मे की अक्सर औरतें बारीक दुपट्टा ओढ़ कर नमाज़ पढ़ती है तो क्या उनकी नमाज़ होती है या नहीं रहनूमाई फरमाएँ

بسم الله الرحمن الرحيم

इसमे दो सूरत हो सकती है, अव्वल ये की दुपट्टा तो इतना बारीक है की बालो की सियाही नज़र आ जाए मगर उसके उपर या नीचे दूसरा ऐसा कपड़ा भी पहना है जिससे बाल की रंगत नज़र नहीं आ रही तो इस सूरत मे नमाज़ बिला कराहत जाइज़ होगी, सूरत दोम, अगर दुपट्टा बारीक है, और कोई दूसरा कपड़ा भी नहीं की सर पर ढक सकते इसी सूरत नमाज़ पढ़ी की सर की सियाही नज़र आ रही है तो ये नमाज़ ना होगी, बलके इसे उठक बेथक कहा जाएगा, नमाज़ उनकी शराइत को पूरा करते हुए पढ़ना है नाकी अपनी मर्ज़ी से जैसे दिल चाहै पढ़ लें, कोई भी औरत अल्लाह पर एहसान नहीं कर रही नमाज़ पढ़ कर, बहारे शरीअत जिल्द:1 सफह:481 पर है “इतना बारीक दुपट्टा जिससे बाल की सियाही चमके, औरत ने ओढ़ कर नमाज़ पढ़ी (नमाज़) ना होगी, जब तक उस पर कोई ऐसी चीज़ ना ओढ़े, जिससे बाल वगेरा का रंग छिप जाए,”

والله تعالى أعلم وعلمه جل مجده اتم واحكم.

सुवाल 63

ज़ैद यह कहता है को "जो औरतें ये कहती हैं के दिल का पर्दा होना चाहिए यानी दिल साँफ होना चाहिए वो ईमान से खारिज़ हैं" (जो ईमान से खारिज़ हो, उसका निकाह, मुरीद थी तो बैत, हज़ किया तो हज़ ख़तम यानी गुज़िश्ता ज़िंदगी के सारे नेक आमाल ख़तम हो जाएँगे, और दलील यह देता है की, हुज़ूर सललल्लाहू अलैही वा सल्लम ने फरमाया के जो औरत मर्दाना लिबास पहने उस पर अल्लाह की लानत हो, और जिस पर अल्लाह की लानत हो उसकी नमाज़, रोज़ा, हज़ ज़कात सब बेकार है" सवाल यह है की क्या ज़ैद का कहना सही है.? और उस औरत का क्या हुक्म है रहनुमाई फरमाएँ

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

जो जिस्म के पर्दे का पूरी तरह इनकार करे, यानी फ़र्ज़ियत से इनकार करे, और कहै सिर्फ़ दिल का पर्दा है उसका ईमान जाता रहा, मगर ऐसा कहने के बावजूद ये औरत निकाह से ना निकली, और ना उसे जाइज़ की बादे इस्लाम किसी दूसरे से निकाह करे, लिहाज़ा बाद इस्लाम शोहर ए साबिक़ा ही से तज्दीद ए निकाह को मजबूर की जाएगी, तो ज़ैद का ये क़ौल ग़लत है की औरत के कुफ़्रीया क़लिमा के बाद निकाह ख़तम हो जाएगा, रहा मुरीद होना तो मुरीद होना चाहै तो दूसरे से हो सकती है, ये क़ौल बेकार है की दिल सही होना चाहिए बाहर कैसा ही हो, जाहिलो का नया जाल है, जो शरीअत की पाबंदी करने वालो को अक्सर कहते हैं की, दिल साफ़ होना चाहिए, नमाज़ से क्या होता है, दिल साफ़ होना चाहिए पर्दे से क्या होता है, ऐसे जाहिलो को मालूम होना चाहिए की हुज़ूर ने फरमाया – जब दिल ठीक होता है तो ज़ाहिर खुद ठीक हो जाता है, लिहाज़ा जो ज़ाहिर मे फासिक़ है, उसका दिल ठीक नही, बेकार की बातें हैं, (मज़ीद तफ़सील जवाब 1 में पढ़ें)

والله تعالى أعلم بالصواب

सुवाल 64

सलाम, छोटी मदनी मुन्नियों के बाल काटना कैसा, और कितनी उम्र तक उनके बाल छोटे रख सकते है, आज कल जिस तरह कटिंग होती है लड़कों की मुशाबेहत जैसे होती है ऐसे मे क्या करे रहनुमाई फरमाइए

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

लड़कियों के बाल लड़के की तर्ज पर नहीं करवा सकते, कटवाने वाले गुनहगार होंगे, बालो की शेष लड़की की मिसल ही कटवाई जाए, और कपड़े भी लड़कियों वाले पहनाए जाएँ,
والله تعالى اعلم

सुवाल 65

लड़की ने लड़के को इस बात का वकील बनाया की वो अपने साथ उसका निकाह फ़र्मा ले और दोनो बालिग हैं और कुफु का भी मामला नहीं है, लड़का ने 2 गवाह के सामने महर के इक्करार के साथ ये कुबूल किया की मैंने फूला लड़की जो मुझे अपना वकील बनाई है उसी वकालत पर अपनी निकाह मे फुला को लेता हूँ अपनी बीवी मे कुबूल करता हूँ, अब क्या ये निकाह हो गया

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

अगर लड़का लड़की बालिग है, और कुफु की भी कोई क़ैद नहीं तो लड़की को वकील करने की ज़रूरत नहीं, दो गवाह के सामने शरई मेहरे के साथ अगर ये दोनो इज़ाब ओ कुबूल कर लेंगे तो निकाह सही हो जाएगा, इसी तरह

فقد نكاح حرة مكلفة بلا رضى ولى - 191 सफह:1 जिल्द:1 मुख्तार दूरें

(वली की इजाज़त के बग़ैर भी हुर्ाह (आज़ाद) आक्रिला बलीगा का निकाह नफिज़ है)

और पूछी गई सूरत मे भी निकाह सही हो जाएगा देखे

बहारे शरीअत जिल्द: 2 सफह:57

“औरत ने मर्द को वकील किया की तू अपने साथ मेरा निकाह कर ले, उसने कहा मेने फूला औरत से अपना निकाह किया निकाह हो गया”

अलबत्ता अगर औरत ने मुतलकन वकील बनाया, अपने साथ निकाह करने को ना कहा तो खुद वकील अपने साथ निकाह नहीं कर सकता देखे

फ़ताहुल क़दीर जिल्द:3 सफह:197 पर है

وكلته ان يزوجه مطلقا فانه لو زوجها من نفسه لايجوز

(अगर बालिगा ने किसी को कहा की मेरा निकाह कर दे, और कोई तख़सीर ना की (की किससे करना है), इस सूरत मे अगर उस शख्स ने औरत का निकाह खुद ही से कर लिया तो जाइज़ ना होगा)

وهو تعالى أعلم بالصواب

सुवाल 66

मेरा सवाल ये है हज़रत, के लाटरी यानी कमेटी डालना कैसा है वो भी बोली की जिसे कोई भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उठा लेता है और उसका फायदा आखिर वाले को होता है तो मुझे ये पता करना है के क्या ये फायदा जो होता है क्या जाइज़ है कुछ लोग इसे नाजाइज़ कहते है रहनुमाई फरमाये

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

बोली वाली लाटरी जिसमे ये होता है की जिसे ज़रूरत है वो 1 लाख की रक़म 80 हज़ार मे ले ले बाकी 20 हज़ार दूसरे मेंबर्ज़ मे बांटे जाते हैं, जिसे उर्फ मे बोली की कमेटी कहा जाता है, ये नाजाइज़ ओ हराम है, और ये रक़म किसी के हक़ मे हलाल नहीं, जिसने आज तक इस तरह एक्सट्रा पैसे लिए होंगे वापस करना वाजिब है, कुरआन मे इसके खिलाफ हुक्म मौजूद है-

सुराह निसा आयात 29 मे है “ए ईमान वालो आपस मे एक दूसरे का माल नाहक (तरीके से) ना खाओ”

लिहाज़ा ऐसे काँमेटी डालने से मुसलमानो को बाज़ आना चाहिए, आज कल देखा जा रहा है, इसका चलन आम होता जा रहा है, चन्द ज़्यादा सिक्को के खातिर खुद भी हराम खाते हैं, अपने बच्चों को भी हराम खिलाते हैं, क्या अब भी मुसलानो के लिए वो दिन ना आया की, हलाल तरीके से खाए और नेक अमल करें, क्या फिर पत्थरों की बारिश का इंतज़ार है
والله تعالى أعلم بالصواب

सुवाल 67

गुस्ल का पूरा तरीका बताए तफ़सील से नियत कैसे करे दुआ कौनसी पढ़े लॅडीस और जेंट्स मे गुस्ल मे क्या फ़र्क है ये भी बताए ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

इसकी तफ़सील के लिए आपको कोई रिसाला इस मौजू पर पढ़ लेना चाहिए, गुस्ल मे 3 फ़र्ज़ हैं, अगर वो सही से अदा हो जाए तो गुस्ल हो जाए,

बहारे शरीअत जिल्द:1 सफ़ह:319 पर है

गुस्ल की नियत करना, फिर दोनो हाथ गट्टो तक धोना, फिर इस्तन्जे की जगह धोना, जिस्म पर जहाँ नजासत हो उसे धोना, नमाज़ का सा वज़ु करें (मगर पावं ना धोए), 3 बार दाएँ तरफ पानी बहाएँ, 3 बार बाएँ तरफ, फिर सर पर और तमाम बदन पर 3 बार, (इसके बाद साबुन शेम्पू जो चाहै इस्तेमाल करे), और आखिर मे पावं धोए, इसमे गुस्ल वज़ु दोनो हो गये,

मर्द औरत का एक ही हुक्म है, फ़र्क ये है की औरत को सर का जूड़ा खोलना ज़रूरी नही, सर की जड़ भीग जाना काफ़ी है, अगर जूड़ा सख़्त है तो खोलना होगा, वरना नही, और मर्द को तमाम सर के बाल फ़र्ज़, देखें

बहारे शरीअत जिल्द:1 सफ़ह:317 पर है

“सर के बाल गुँधे ना हो तो हर बाल पर जड़ से नोक तक पानी बहाना (फ़र्ज़), और गुँधे हो तो मर्द पर फ़र्ज़ है की उन्हे खोल कर जड़ से नोक तक पानी बहाए, औरत पर सिर्फ़ जड़ तर कर लेना ज़रूरी है, खोलना ज़रूरी नहीं, हाँ, अगर जुड़ी/जुड़ा इतना सख़्त गुँधा हो की बिना खोले जड़ तर ना होगी, तो खोलना ज़रूरी है”

औरत को मर्द से ज़्यादा जिस्म पर पानी डालने मे एहतियात ज़्यादा करनी चाहिए, मसलन-

*नाक की लोंग या कान के बूँदे के सुराख मे पानी, डालना,

*अंगूठी, छल्ले, बिच्छुए के नीचे पानी बहाना,

* अगर पिसतान (ब्रेस्ट) ढली (लटकी) हुई है तो उसे उठा कर उसके नीचे पानी बहाना

*मर्द औरत दोनो को पेर सही से धोना, खास कर घुटने के पीछे का हिस्सा क्यूंकी पेर मोड़ कर बैठने पर वो जगह सूखी रहने का खोफ़ है, इसी तरह अगर जिस्म पर चर्बी ज़्यादा है तो पिसतान की तरह पेट पर पड़ने वाले बल (चर्बी) के दरमियानी जगह भी धोए, यानी हर परत,

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

सुवाल 68

शादी मे दूलह दुल्हन को हल्दी लगाना ज़रूरी है क्या हल्दी लगने के बाद दुलह को बाहर नहीं जाने देते कही भी इस्लाम मे दूलह और दुल्हन को हल्दी लगाने की कोई हदीस या किसी बुज़ुर्ग का क़ौल है क्या ?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

रसमे शादी मे हल्दी जिसे उर्फ़ ए आम मे “उबटन” कहा जाता है, जाइज़ है, मगर ज़रूरी नहीं, यानी हल्दी रंग को निखारती है, इसे लगाने मे कोई हर्ज़ नहीं, शादी से कुछ दिन पहले दूलहा या दुल्हन को उबटन लगाई जाती है,

इसमे हर्ज नही मगर इस रस्म मे जो खुराफात होती है और हराम काम होते हैं उससे बचना फ़र्ज़ है, मसलन, दूलह को उसके घर की या ख़ानदान की ग़ैर मेहरम लड़किया उबटन ना लगाए, इसी तरह ना भाभी ना, चाचियाँ हत्ता की हर वो औरत जिससे पर्दा फ़र्ज़ है उससे दूलह को उबटन लगवाना या बदन छूआना हराम है, इसी तरह अगर दूलह को 3 दिन उबटन मे बिठाया और घर से बाहर ना जाने दिया और मस्जिद की जमाअत से नमाज़ अदा ना की तो भी गुनहगार की जमाअत से नमाज़ वाजिब है, और दूलह के हाथ मे मेहन्दी लगाना भी हराम, इसमे करना ये चाहिए की दुल्हन को लड़किया उबटन लगाए और वो पर्दे मे रहै, क्युंकी उसे घर मे ही नमाज़ पढ़नी है, और दूलह बाद ईशा खुद लगा कर सो जाए और सुबह नहा कर फ़ज्र पढ़ ले और ये काम वो खुद भी शादी से कई दिन पहले कर सकता है, इससे नमाज़ भी बाकी रहैगी और उबटन भी लग जाएगी, यानी ऐसा नही है की उबटन के बाद दूलह बाहर नही जा सकता, बेहतर ये है की 3 दिन की उबटन हो या 7 दिन की बाद ईशा ही लगाए क़ब्ल फ़ज्र धो डाले, मगर किसी जाइज़ रस्म मे नाजाइज़ काम शामिल होने से वो रस्म नाजाइज़ नही होती, बस उस नाजाइज़ काम को दूर करना चाहिए, ना की रस्म को बुरा या ग़लत समझना चाहिए”

फ़तावा राज़विया जिल्द:22 सफ़ह:245 पर है

“उबटन मलना जाइज़ है....बालिग के बदन मे ना-मेहरम औरतों का मलना नाजाइज़ है, और बदन को हाथ तो मां भी नही लगा सकती ये हराम और अशद हराम है

وَهُوَ تَعَالَىٰ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

सुवाल 69

ये इरशाद फरमाइए की निकाह के बाद एक औरत के लिए शोहर का हुक्क ज़ियादा है या औरत के वालिदेन का हुक्क ? वो अपने बाप मां की बात माने या शोहर के हुक्म की तामील करे ? (यहा हुक्म जो भी है ग़ैर शरई नहीं है) एक औरत के लिए उसका शोहर कितना लाज़मी है?

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

सुवाल की महैक से मालूम हो रहा है साइल इसका जवाब खुद जानता है, मगर अपनी क़ौल को तक्रवीयत देने के लिए जवाब चाहता है, वैसे तो सुवाल बहुत कड़वा है, और अक्सर औरत के ये खुसुसियत होती है की हक्क उन्हें इतना कड़वा लगता है की वो उसे हलक से नीचे नहीं उतार पाती, हक्क ये है की, औरत पर उसके शोहर का हक्क, वलिदैन से ज़्यादा है, यहा तक की, अगर शोहर औरत को उसके बाप के मरने पर भी जाने को मना करे तो औरत को आदमी के हुक्म की पेरवी लाज़िम है, और बाप के जनाज़े पर जाना मना होगा, इस हुक्म से हर अक़ल वाला अंदाज़ा लगा सकता है की औरत पर शोहर की बात मानने को इस्लाम ने कितना ज़रूरी करार दिया, और तो और अगर शोहर सर से पावं तक खून और पीप मे सना हो और औरत अपने शोहर को जुबान से चाट कर भी साफ करे तो अपने शोहर का हक्क अदा ना कर सकेगी, और शोहर अगर लाल पहाड़ के पत्थर काले पहाड़ पर ले जाने को कहै तो औरत को फोरन इस काम भी लग जाना चाहिए, और ये मिसाले हदीसी है, इसका मतलब ये होता है की, मर्द, औरत को जैसा भी जाइज़ काम कहै, उसे कोशिश मे लग जाना चाहिए चाहै नाकाम हो जाए, इसकी मिसाल यूँ समझे, अगर शोहर कहै की मुझे अब रोज़ रात 3 बजे खाना चाहिए, तो औरत को बजाए हीले बहाने बनाना के इस पर रज़ामंदी ज़ाहिर करनी चाहिए, और कोशिश भी करनी चाहिए, भले ही उठने मे नाकाम रहै, क्यूंकी इज़हार की नियत करने पर भी सवाब होता है, अब रहा ये की औरत पर

शोहर का हक्क ज़्यादा इसका पता इस बात से लगाया जा सकता है, की खुदा के बाद दूसरा सजदा वालिदेन को नहीं होता बल्कि शोहर को होता, अक़ल वाला इससे समझ जाएगा की हक्क ज़्यादा किसका है, लिहाज़ा औरत को शोहर के हर जाइज़ हुक्म की पेरवी खुशी से करनी चाहिए, (आलाहज़रत ने एक मुकाम पर फ़रमाया की अगर शोहर चाहै की उसकी बीवी मोटी हो तो औरत को अपना मोटापा बढ़ाने में लग जाना चाहिए)

मगर दौर पुर्फितन है, ज़्यादा तर, औरतें हरपा, होती है, और कहती है की क्या वालिदेन कुछ नहीं ? जबकि ऐसा नहीं, वालिदेन का हक्क भी कभी ख़तम नहीं होता, वालिदेन का हक्क उनकी जगह है, शोहर का उसकी जगह, आप गौर करें, शरीअत ने वालिदा का दर्जा इतना बुलंद किया, मगर बाज़ हुक्म मे वालिदा को पीछे करके बीवी को उसके आगे किया शरीअत ने सब के हक्क की हिफ़ाज़त की है, इसकी मिसाल यूँ समझे की अगर किसी मर्द के दोनो हाथ नहीं है तो उसे इस्तिजा माफ़ है, यानी वालिदा भी इस्तिजा नहीं करवा सकती (अदब के भी खिलाफ़ है) मगर बीवी चाहै तो उसे इस्तिजा करवा सकती है, फ़रक़ अक़ल का है की, सबके हक्क अपनी जगह होते है, और बाज़ शोहर खुद को बीवी के खुदा समझते है, की अपने हक्क के आगे दूसरो के हक्क को समझते ही नहीं, उन्हे भी चाहिए की अपनी आदत को बदले, 10 मे से 10 ना सही मगर 4-5 बाते तो (जाइज़) बीवी की भी मान लिया करे, और बीवी को भी चाहिए, की शोहर जिस चीज़ से बाज़ रखे, बाज़ रहै की वो उसका आका है, मेरा मशवरा ये है की, शोहर अपनी बीवी को अगर इस बात का हुक्म दे की जब भी काम से शाम को घर आए तो बीवी उसके हाथ चूमे, यानी शोहर बीवी पर इस हुक्म को लाज़िम कर दे, और जब ऐसा होने लगेगा तो इसके फायदे नज़र आएँगे, की अब्बल तो जब औरत शोहर के हाथ चूमेगी

तो उसका (औरत का) तकब्बुर जाता रहैगा, की औरत मे तकब्बुर ज़्यादा होता है, फिर वो आइन्दा इस बात का ख्याल भी रखेगी की ना बहैस करेगी, ना जुबान दराज़ी, क्यूंकी फिर उसे उसके आगे झुक कर हाथ चूमना ही है, तो उसके दिमाग मे ये बात घर कर जाएगी, की भला मैं जिसके हाथ चूम कर इज़्ज़त देती हूँ, उससे बदजुबानी कैसे कर सकती हूँ, की हाथ चूमे ही इसलिए जाते है जिसे आदमी इज़्ज़त देता है, फिर भी अगर औरत की जुबान दराज़ी बंद ना हो तो हाथ चूमने का सिलसिला बंद ना करवाए, चाहै घर मे हो या ससुराल मे, औरत मे बदलाव ना सही, कम से कम बच्चो पर तो इसका असर पड़ेगा ही, यानी वार खाली नहीं जाएगा, और जब औरत, शोहर के घर आने पर हाथ ना चूमे, या परहैज़ करे, तो समझो तकब्बुर बाकी है, और उसे अमल याद दिलाता रहै, और जो औरत अपने शोहर के हाथ चूमने पर राज़ी ना हो. या शोहर के घर आने पर ताज़िमन खड़ी होने को बोझ समझती हो “वो या तो तकब्बुर वाली है, या मुनाफ़िक़ (मुनाफ़िके अमली)”

والله تعالى أعلم بالصواب

सुवाल 70

क्या हुक्म है हदीसे- पाक मे इस बारे मे के किसी बा- शरा सुन्नी सहिहुल अक़ीदा रिस्तेदार से बेवजह या किसी फुरुई वजह से बात चीत और कलाम ओ सलाम बंद कर देना या रिश्ता तोड़ने वाले के लिए क्या हुक्म है क्या वर्ईदे हैं इरशाद फरमाइए

जवाब: بسم الله الرحمن الرحيم

बिला वजह शरई रिश्तेदार से क़तअ ताल्लुक़ करना हराम है, बुखारी मे है-

لا يحل لرجل يهجر اخاه فوق ثلث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام

(आदमी को हलाल नही की अपने मुसलमान भाई को तीन रात से ज़्यादा छोड़े, राह में मिले तो ये इधर मुँह फेर ले या उधर मुँह फेर ले, और उनमें बेहतर वह है जो पहले सलाम करे,)

मुसनद अहमद – मे है

لايحل لمسلم ان يجهر اخاه فوق ثلث فمّن هجر فوق ثلث فمات دخل النار

(मुसलमान को हलाल नही की मुसलमान भाई को तीन रात से ज़्यादा छोड़े, जो तीन रात से ज़्यादा छोड़े, और इसी हालत में मरे वह जहन्नम में जाएगा)

फतावा रज़वीय्या जिल्द: 6 सफह: 597 पर है

“बिला वजह शरई तीन दिन से ज़्यादा मुसलमान से क़तअ ताल्लुक़ हराम है”
والله تعالى اعلم

ماشاء الله لا قوة الا بالله

इसमें और भी मज़ीद सुवालात दर्ज होने की उम्मीद है .

More book - www.smswarsi.com

